राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 05–12–2011 के कार्यवृत्त की विषय सूची।

क्र0सं0	मद संख्या	विषय
1	1	राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 31–10–2011 में पारित आदेशों का अनुमोदन।
2	2	सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण/सहायक परिवहन आयुक्त (प्रशासन), उत्तराखण्ड द्वारा उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 (जो वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त है) के नियम–57 में दिये गये प्राविधानानुसार प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये गये निम्नलिखित परमिटों के मामले में पारित आदेशों का अनुमोदन।
3	3	उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम–87 (4) में दिये गये प्राविधानानुसार राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा अपनी बैठक दिनांक 15–11–2002 के मद संख्या–19 में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–82 (1) व (2) में दिये गये प्राविधानानुसार हस्तान्तरण के मामले में मोटरकैब, मैक्सी कैब वाहनों के परमिटों के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में प्रदत्त किये गये अधिकारों के अन्तर्गत दिनांक **01–10–2011 से 20–11–2011** तक हस्तान्तरित किये गये उक्त प्रकार के परमिटों में पारित आदेशों का अनुमोदन।
4	4	मोटरकैब एवं मैक्सी कैब परमिटों की मॉडल सीमा पूर्व की भांति 15 वर्ष करने सम्बन्धी अध्यक्ष, गढवाल जीप टैक्सी समिति, कोटद्वार, जिला गढ़वाल के मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार एवं अन्य को सम्बोधित प्रत्यावेदन दिनांक 19–09–2011 पर विचार व आदेश।
5	5	राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 31–10–2011 के मद संख्या–7 के अन्तर्गत मैसर्स स्नो लैपर्ड एडवेन्चर प्रा0 लि0 की 4760 एम0एम0 व्हीलबेस की वाहन संख्या–यूके07पीसी–0215 को ऋषिकेश–श्रीनगर मार्ग पर ऋषिकेश से कौड़ियाला तक दी गयी अनुमति के सम्बन्ध में संयुक्त रोटेशन यातायात व्यवस्था समिति, ऋषिकेश एवं गढ़वाल मोटर्स ओनर्स यूनियन लिमिटेड, कोटद्वार के पत्र क्रमशः दिनांक 05–11–2011 एवं 12–11–2011 पर विचार व आदेश।
6	6	श्री राजीव चोपड़ा, मैनेजर इन्सिटीट्यूशलन सैल्स, आयसर, कम्पनी के प्रत्यावेदन दिनांक 15–11–2011 पर विचार व आदेश।
7	7	श्रीमती चम्पा वैला पत्नी श्री जगदीश चन्द्र, रानीखेत रोड़, रामनगर के रामनगर–श्री बद्रीनाथ

		तथा सम्बन्धित मार्ग के स्थायी सवारी गाड़ी परमिट संख्या–पीएसटीपी–33 / एसटीए / यूए / एससी / 2003 पर ऊंचे मॉडल की वाहन संख्या–यूपी16एटी–1697, मॉडल 1998 प्रतिस्थापित करने सम्बन्धी प्रत्यावेदन दिनांक 24–05–2011 पर विचार व आदेश।
8	8 परिशिष्ट–'क'	समस्त भारतवर्ष के मैक्सी कैब परमिटों के प्रार्थना पत्र पर विचार व आदेश।
	परिशिष्ट–'ख'	समस्त भारतवर्ष के ठेका बस परमिटों के प्रार्थना पत्र पर विचार व आदेश।
9	9 परिशिष्ट–'ग'	समस्त उत्तराखण्ड के मोटर कैब परमिटों के प्रार्थना पत्र पर विचार व आदेश।
	परिशिष्ट–'घ'	समस्त उत्तराखण्ड के मैक्सी कैब परमिटों के प्रार्थना पत्र पर विचार व आदेश।
	परिशिष्ट–'च'	समस्त उत्तराखण्ड के ठेका बस परमिटों के प्रार्थना पत्र पर विचार व आदेश।
10	10	श्री योगेश अग्रवाल, अनमोल टूर एण्ड ट्रैवल्स के समस्त भारतवर्ष के मोटर कैब परमिट नवीनीकरण एवं हस्तान्तरण करने के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन दिनांक 30–11–2011 पर विचार व आदेश।
11	11	समस्त भारतवर्ष के मोटर कैब परमिट संख्या–3404, 5326, 5342, 6306, 7713, 7714, 7811, 8295, 8305, 11699 एवं 11780 को श्रीमती नीलम अग्रवाल पत्नी श्री योगेश अग्रवाल के नाम से श्री अनमोल अग्रवाल पुत्र श्री योगेश अग्रवाल, निवासी 38/1 टैगोर विला, देहरादून के नाम हस्तान्तरण के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 03–11–2011 पर विचार व आदेश।
12	12 परिशिष्ट–'छ'	देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर तथा सम्बन्धित मार्ग के स्थायी सवारी गाड़ी परमिटों के नवीनीकरण के प्रार्थना पत्रों के सम्बन्ध में श्री अतुल सिंघल, देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर मोटर यूनियन, देहरादून के प्रत्यावेदन दिनांक 25–10–2011 पर विचार व आदेश।
13	13	ऑटो रिक्शा किराये की दरों में वृद्धि से सम्बन्धित मामले पर विचार व आदेश।
14	14	पंतजलि योगपीठ, महर्षि दयानन्द, हरिद्वार की वाहन संख्या–यूके08पीए–1001 को समस्त भारतवर्ष का ठेका बस परमिट जारी करने सम्बन्धी प्रत्यावेदन दिनांक 30–05–2011 पर विचार व आदेश।
15	15	समस्त भारतवर्ष के मोटरकैब परमिटों में परमिटों से आच्छादित वाहन को परमिट जारी करने की तिथि से 05 वर्ष तक निजी वाहन के रूप में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी, की पूर्व में अधिरोपित शर्त पर विचार व आदेश।
16	16	समस्त भारतवर्ष / उत्तराखण्ड के मोटर कैब, मैक्सी कैब एवं बसों को उदारनीति से ठेका

		गाड़ी परमिट जारी करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।
17	17	समस्त भारतवर्ष/उत्तराखण्ड के मोटर कैब, मैक्सी कैब वाहनों के परमिटों के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जो नीति अपनायी जा रही है, उसी नीति के अन्तर्गत ठेका बस परमिटों के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में विचार व आदेश।
18	18	राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड के परमिटों से आच्छादित वाहन स्वामियों द्वारा परमिट समाप्त परमिट यथा समय कार्यालय में जमा न करने पर ऐसे परमिटों के सम्बन्ध में शास्ति का प्राविधान करने पर विचार व आदेश।
19	19	अन्य मद, राज्य परिवहन प्राधिकरण की आज्ञा से।

सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड़।

<u>राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 05–12–2011 की कार्यसूची।</u>

<u>मद संख्या–01</u>

राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 31–10–2011 में पारित आदेशों का अनुमोदन।

<u>मद संख्या–02</u>

सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण/सहायक परिवहन आयुक्त (प्रशासन), उत्तराखण्ड द्वारा उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 (जो वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त है) के नियम–57 में दिये गये प्राविधानानुसार प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये गये निम्नलिखित परमिटों के मामले में पारित आदेशों का अनुमोदनः–

(अ)– सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण/सहायक परिवहन आयुक्त (प्रशासन), उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक **01–10–2011** से **20–11–2011** तक मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–87, 88(8) एवं 88(9) के अन्तर्गत जारी किये गये अस्थाई परमिटः–

क्र0सं0	**परमिटों का प्रकार**	**परमिटों की संख्या**
1	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–87 के अन्तर्गत जारी किये गये अस्थाई सवारी गाड़ी परमिट।	**36**
2	अन्तर्राज्यीय मार्गों (राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा, चण्डीगढ़ एवं हिमाचल राज्य परिवहन निगम की बसों) के लिए द्वि–पक्षीय कराधान के अन्तर्गत अधिकतम चार माह की अवधि के लिए जारी किये गये अस्थाई सवारी गाड़ी परमिटों के प्रतिहस्ताक्षर।	**60**
3	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–74 में दिये गये प्राविधानानुसार धारा–87 के अन्तर्गत जारी किये गये समस्त उत्तराखण्ड के अस्थाई मोटर कैब परमिट।	**00**
4	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–74 में दिये गये प्राविधानानुसार धारा–87 के अन्तर्गत जारी किये गये समस्त उत्तराखण्ड के अस्थाई मैक्सी कैब परमिट।	**11**
5	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–74 में दिये गये प्राविधानानुसार धारा–87 के अन्तर्गत जारी किये गये समस्त उत्तराखण्ड के अस्थाई ठेका बस परमिट।	**01**

(ब)– सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण/सहायक परिवहन आयुक्त (प्रशासन), उत्तराखण्ड द्वारा प्राधिकरण के प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किए गये समस्त भारतवर्ष के मोटर कैब, मैक्सी कैब, ठेका बसों एवं अन्तर्राज्यीय मार्गों पर जारी किये गये मंजिली गाड़ियों के स्थायी परमिट एवं नवीनीकृत किये गये स्थाई परमिट :–

क्र0सं0	**परमिटों का प्रकार**	**परमिटों की संख्या**
1	समस्त भारतवर्ष के मोटर कैब, मैक्सी कैब स्थाई परमिट।	**211**
2	समस्त भारतवर्ष के ठेका बस के स्थाई परमिट।	**02**
3	मोटर कैब, मैक्सी कैब एवं ठेका बस के समस्त भारतवर्ष के अधिकार पत्रों का नवीनीकरण।	**238**
4	समस्त भारतवर्ष के मोटर कैब, मैक्सी कैब परमिटों के नवीनीकरण।	**11**
5	समस्त भारतवर्ष के ठेका बस परमिटों के नवीनीकरण।	**00**
6	समस्त उत्तराखण्ड के मोटर कैब परमिटों के नवीनीकरण।	**00**
7	समस्त उत्तराखण्ड के मैक्सी कैब परमिटों के नवीनीकरण।	**08**
8	समस्त उत्तराखण्ड के ठेका बस परमिटों के नवीनीकरण।	**00**
9	प्राईवेट स्टेज कैरिज बस परमिटों के नवीनीकरण।	

(स)– मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–88 (6) में दिये गये प्राविधानानुसार राजस्थान/उत्तर प्रदेश राज्य के सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण/सम्भागीय परिवहन प्राधिकरणों द्वारा पारस्परिक परिवहन करार में बनी सहमति के अनुसार जारी किये गये स्थायी मंजिली/जनभार वाहन परमिटों के प्रतिहस्ताक्षर के संस्तुति पत्रों पर सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण/सहायक परिवहन आयुक्त (प्रशासन), उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में संचालन हेतु प्रतिहस्ताक्षर किये गये परमिटों पर पारित आदेशों का अनुमोदन।

(1) समस्त उत्तर प्रदेश के जनभार वाहनों के स्थाई परमिटों का प्रतिहस्ताक्षर– क्रमांक 13290 से 13468 तक।

(2) समस्त उत्तर प्रदेश के मोटरकैब के स्थाई परमिटों का प्रतिहस्ताक्षर– 01

(द) सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण/सहायक परिवहन आयुक्त (प्रशासन), उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत दिनांक **01–10–2011 से 25–11–2011** तक की अवधि में विभिन्न प्रकार के परमिटों को निरस्त करने के सम्बन्ध में प्राप्त **64** एवं प्रतिस्थापन के सम्बन्ध में प्राप्त **03** प्रार्थना पत्रों में पारित आदेशों का अनुमोदन।

<u>मद संख्या–03</u>

उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम–87 (4) में दिये गये प्राविधानानुसार राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा अपनी बैठक दिनांक 15–11–2002 के मद संख्या–19 में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–82 (1) व (2) में दिये गये प्राविधानानुसार हस्तान्तरण के मामले में मोटरकैब, मैक्सी कैब वाहनों के परमिटों के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में प्रदत्त किये गये अधिकारों के अन्तर्गत दिनांक **01–10–2011 से 20–11–2011** तक हस्तान्तरित किये गये उक्त प्रकार के परमिटों में पारित आदेशों का अनुमोदन।

उक्त अवधि में सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण/सहायक परिवहन आयुक्त (प्रशासन), उत्तराखण्ड ने प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–82 (1) के अन्तर्गत **समस्त भारतवर्ष के स्थाई मोटर कैब परमिट संख्या–4692, 4780, 5014, 7888, 9127, 9235, 9652, 11894, मैक्सी कैब परमिट संख्या–4445, 5431, 5603, 7102, 7216, 7556, समस्त उत्तराखण्ड के स्थायी मोटर कैब परमिट संख्या–793, मैक्सी कैब परमिट संख्या–2115, 2609, 2611, 2622, 3258, 3334, 3433, 3654, 4155, 4732** के हस्तान्तरण के मामलों पर पारित आदेशों का अनुमोदन।

<u>मद संख्या–04 { दिनांक 31–10–2011 की बैठक का स्थगित अन्य मद–16(1)}</u>

मोटरकैब एवं मैक्सी कैब परमिटों की मॉडल सीमा पूर्व की भांति 15 वर्ष करने सम्बन्धी अध्यक्ष, गढवाल जीप टैक्सी समिति, कोटद्वार, जिला गढ़वाल के मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार एवं अन्य को सम्बोधित प्रत्यावेदन दिनांक 19–09–2011 पर विचार व आदेश।

अध्यक्ष, गढवाल जीप टैक्सी समिति, कोटद्वार के अन्य के साथ मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार को सम्बोधित तथा परिवहन आयुक्त कार्यालय को पृष्ठांकित प्रत्यावेदन दिनांक 19–09–2011 प्राप्त हुआ है, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि ''राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में दिनांक 20–06–2006 के संकल्प संख्या–07 में यह निर्णय लिया गया था कि जीप टैक्सी/मैक्सी कैब वाहनों की आयु सीमा 15 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष किया गया है व 10 वर्ष खत्म हो जाने के बाद 2 वर्ष तथा 6 माह के अन्तराल में भौतिक निरीक्षण करने के बाद ही स्वस्थता प्रमाण पत्र जारी किया जाए। इसी बैठक में यह निर्णय भी लिया गया था कि 20–06–2006 से पहले जिन वाहनों को 15 वर्ष की आयु सीमा की अवधि के लिए जारी किये गये परमिटों से आच्छादित वाहनों की मॉडल सीमा 15 वर्ष ही रहेगी। 15 वर्ष पूर्ण होने पर ऐसे परमिटों पर ऊंचे मॉडल की वाहन प्रतिस्थापित करते समय 12 वर्ष की मॉडल सीमा की शर्त अधिरोपित की जाए।

परिवहन अधिकारी, पौड़ी द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है। जिन वाहनों की आयु सीमा पूर्व में 15 वर्ष निर्धारित की गई थी उनको अगर वह वाहन स्वामी बेचता है व दूसरा वाहन स्वामी वाहन को अपने नाम परमिट ट्रान्सफर करता है तो उसकी आयु सीमा 12 वर्ष कर दी जाती है। जो कि परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 20–06–2006 के संकल्प संख्या–7 के अनुरूप नहीं है। क्योंकि वाहन का रजिस्ट्रेशन व नम्बर व मॉडल वही है सिर्फ मालिक ही बदली हुआ है। इस स्थिति में वाहन की आयु सीमा घटाना सरासर गलत है। इससे गाड़ी मालिकों को आर्थिक क्षति होगी। उनके द्वारा जिन वाहनों की परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 20–06–2006 से पूर्व में 15 वर्ष की आयु सीमा के परमिट जारी किये गये हैं, इनका ट्रान्सफर करते समय उन वाहनों की आयु सीमा 15 वर्ष पूर्व की भांति यथावत रखे जाने का अनुरोध किया गया है।''

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रदेश के सम्भागीय परिवहन प्राधिकरणों द्वारा जारी किये जा रहे मोटर कैब एवं मैक्सी कैब परमिटों की मॉडल सीमा में एकरूपता न होने के कारण मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–68 की उपधारा (4) में दिये गये प्राविधानानुसार प्रदेश के सम्भागीय परिवहन प्राधिकरणों द्वारा जारी किये जा रहे मोटरकैब, मैक्सी कैब परमिटों के मॉडल सीमा के सम्बन्ध में अपनी बैठक दिनांक 20–06–2006 के संकल्प संख्या–7 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किये गये हैं :–

''मद संख्या–07 के अन्तर्गत पर्वतीय मार्गों पर संचालित मोटर कैब एवं मैक्सी कैब वाहनों की आयु सीमा कुमाऊँ सम्भाग में 10 वर्ष तथा पौड़ी व देहरादून सम्भाग में 15 वर्ष होने के कारण गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल क परिस्थितियॉ एक समान होने के फलस्वरूप राज्य के सम्भागीय परिवहन प्राधिकरणों द्वारा पर्वतीय मार्गों पर स लत मोटर कैब/मैक्सी कैब वाहनों की मॉडल सीमा में एकरूपता न होने के कारण पर्वतीय मार्गों पर संचालित उपरा प्रकार की वाहनों की मॉडल सीमा में एकरूपता लाने के लिए नीति निर्धारण के सम्बन्ध में जनप्रतिनिधियों ए व्यक्तियों तथा समय–समय पर वाहन स्वामियों द्वारा प्राप्त सुझावों पर मामले को प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण द्वारा सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून, पौड़ी एवं हल्द्वानी द्वारा पर्वतीय मार्गों पर उपरोक्त प्रकार की वाहनों के परमिटों पर अधिरोपित की जा रही मॉडल सीमा के सम्बन्ध में गम्भीरता से विचार किया गया तथा विचार विमर्श के दौरान अपर सचिव एवं अपर विधि परामर्शी द्वारा यह भी मन्तव्य व्यक्त किया गया कि पर्वतीय मार्गों पर संचालित मोटर कैब, मैक्सी कैब वाहनों की मॉडल सीमा 08 वर्ष रखी जा सकती है, परन्तु से विचार किया गया तथा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल के पर्वतीय मार्गों की भौगोलिक परिस्थिति एक समान होने तथा प्राधिकरणों द्वारा उक्त प्रकार के परमिटों पर लगाई जा रही शत एकरूपता न होने के कारण मोटरगाड़ी अधिनियम–1988 की धारा–68 की उपधारा (3) व (4) में दिये गये प्राविधानानुसार शक्ति का प्रयोग करते हुए पर्वतीय मार्गों पर बढ़ती हुई दुर्घटनाओं एवं जान–माल की हा

रखते हुए दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने एवं जनता को सुरक्षित तथा सुविधाजनक यातायात उपलब्ध कराने के से प्रदेश के सम्भागीय परिवहन प्राधिकरणों द्वारा पर्वतीय मार्गों पर जारी किए जा रहे मोटर कैब एवं मैक्स से आच्छादित वाहनों की मॉडल सीमा 12 वर्ष निर्धारित की जाती है। 10 वर्ष की आयु हो जाने के पश्चात् व फिटनैस एक समिति के द्वारा की जाय। समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे–

1– सम्भागीय परिवहन अधिकारी/सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (जहॉ सम्भागीय परिवहन अधिकारी न हों)।

2– सम्भागीय/सहा0 सम्भागीय निरीक्षक।

समिति द्वारा परमिट पर आच्छादित वाहन की आयु 10 वर्ष पूर्ण हो जाने के पश्चात् प्रत्येक 6–6 माह के अन्तराल में 02 वर्ष तक वाहन का भौतिक निरीक्षण करते हुए वाहन उपयुक्त पाये जाने पर स्वस्थता प्रमाण पत्र ज किया जाय। पूर्व में 15 वर्ष की आयु सीमा की अवधि के लिए जारी किए गये परमिटों पर आच्छादित वाहनों की सीमा 15 वर्ष समाप्त हो जाने के पश्चात् ऐसे परमिटों पर ऊँचे मॉडल की वाहन प्रतिस्थापित करते समय 12 वर्ष की मॉडल सीमा की शर्त अधिरोपित की जाय। साथ ही उक्त गठित समिति द्वारा पूर्व में जारी परमिटों पर संचालित कैब एवं मैक्सी कैब वाहनों द्वारा 10 वर्ष आयु सीमा पूर्ण करने के पश्चात् 6–6 माह का स्वस्थता प्रमाण पत्र जारी किया जाय।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया कि जीप प्रकार की मोटर कैब, मैक्सी कैब वाहनों में (ओवरलोडिंग को देखते हुए) चालक केबिन में पार्टीशन होने पर ही स्वस्थता प्रमाण जारी किया जाय। उपरा का अनुपालन करने हेतु प्रदेश के सम्भागीय परिवहन प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाय।''

अतः प्राधिकरण मामले पर विचार कर आदेश पारित करने का कष्ट करें।

मद संख्या–05

राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 31–10–2011 के मद संख्या–7 के अन्तर्गत मैसर्स स्नो लैपर्ड एडवेन्चर प्रा0 लि0 की 4760 एम0एम0 व्हीलबेस की वाहन संख्या–यूके07पीसी–0215 को ऋषिकेश–श्रीनगर मार्ग पर ऋषिकेश से कौड़ियाला तक दी गयी अनुमति के सम्बन्ध में संयुक्त रोटेशन यातायात व्यवस्था समिति, ऋषिकेश एवं गढ़वाल मोटर्स ओनर्स यूनियन लिमिटेड, कोटद्वार के पत्र क्रमशः दिनांक 05–11–2011 एवं 12–11–2011 पर विचार व आदेश।

संयुक्त रोटेशन यातायात व्यवस्था समिति, ऋषिकेश ने अपने पत्र दिनांक 05–11–2011 द्वारा अवगत कराया गया है कि उत्तराखण्ड प्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं संकरे घुमावदार मोटरमार्ग के कारण आम जन की सुरक्षा के लिए वाहनों के संचालन का मापदंड गंभीर विचारोपरान्त 166 व्हील बेस निर्धारित है। वर्तमान समय में उत्तराखण्ड के राष्ट्रीय मार्गों को डबल लेन किया जा रहा है। फिर भी मोटरमार्ग में कई बिन्दु ऐसे है जहां पर कि बार–बार पहाड़ों की विखंडन प्रक्रिया से मार्ग संकरे है। कई दिनों तक मार्ग अवरूद्ध होते हैं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग में छोटे वाहनों के संचालन भी बंद रहते हैं। उनके द्वारा उत्तराखण्ड के परिवहन व्यवसायी पूर्व मानक 166 इन्च व्हीलबेस की सुरक्षा एवं व्यवसाय की दृष्टि से पूर्ण समर्थन करते हुये 187 इन्च व्हीलबेस का विरोध करते हुये निरस्त करने की मांग की गयी है।

उपरोक्त के अतिरिक्त अध्यक्ष, जी0एम0ओ0यू0लि0, कोटद्वार ने अपने पत्र दिनांक 12–11–2011 द्वारा अवगत कराया है कि दिनांक 31–10–2011 को आहूत राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में बाहरी प्रान्तों के ट्रान्सपोर्टर के प्रभाव में पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कुछ दूरी तक (ऋषिकेश–कौड़ियाला) वाहनों का व्हीलबेस 187 इन्च किया गया है। जबकि कम्पनी जी0एम0ओ0यू0लि0, उत्तराखण्ड में वर्षों से दूर–दराज के कच्चे–पक्के मार्गों पर जन सेवा देती आ रही है। कभी भी इन संस्थाओं द्वारा आम जनता की सुरक्षा को देखते हुये वाहनों के व्हीलबेस को बढ़ाने की मांग नहीं की गयी है। क्योंकि समस्त मार्ग अत्यन्त संकरे हैं और बार–बार अवरूद्ध होते रहते हैं। दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला के दिनांक 16–10–2011 के अंक में सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड के द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या–3324 / एस0टी0ए0 / दस–63 / 2011–12 दिनांक 13–10–2011 में पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 187 इन्च व्हील बेस के सम्बन्ध में कोई भी प्रस्ताव उल्लिखित नहीं किया गया है। अतः इस पर बैठक में चर्चा वैधानिक नहीं है। 187 इन्च व्हील बेस का संकल्प पारित करना पूर्णतया विधिक प्रक्रिया का उल्लघंन है और यह संकल्प खंडनीय है। कम्पनी जी0एम0ओ0यू0 इसका पूर्णतया विरोध करती है। उनके द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 31–10–2011 के मद संख्या–7 में मैसर्स स्नो लैपर्ड एडवेन्चर की 4760 एम0एम0 व्हील बेस की वाहन संख्या–यूके07पीसी–0215 को ऋषिकेश–कौड़ियाला तक दी गयी संचालन की अनुमति को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड ने अपनी बैठक दिनांक 31–10–2011 के मद संख्या–7 के अन्तर्गत मैसर्स स्नो लैपर्ड एडवेन्चर की वाहन संख्या–यूके07पीसी–0215 को ऋषिकेश से कौड़ियाला तक संचालन के सम्बन्ध में निम्न आदेश पारित किये गये :–

''प्राधिकरण द्वारा श्री बजाज को सुनने एवं प्राधिकरण की बैठक दिनांक 03–03–2001 के मद/संकल्प संख्या–20 एवं बैठक दिनांक 30–07–2010 के मद/संकल्प संख्या–8 में निर्धारित माप दण्डों एवं सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश द्वारा प्रस्तुत आख्या का अवलोकन करते हुए सम्यक् विचारोपरान्त मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–72 की उपधारा– 2(xxii), धारा–74 की उपधारा–2(ix) एवं धारा–76 की उपधारा–3 (iii) में दी गयी शक्ति का प्रयोग करते हुये प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने एवं रोजगार सृजन के दृष्टिगत् 187 इन्च व्हील बेस (4760 एम0एम0) एवं 50 प्रतिशत् ओवरहैंग की स्वराज माजदा वाहन संख्या यूके07पीसी–0215, को ऋषिकेश–श्रीनगर मार्ग केवल ऋषिकेश से कौड़ियाला तक बस संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है। यदि उक्त मापदण्डों के अनुरूप वाहन को अन्य वाहन स्वामी द्वारा भी प्रश्नगत मार्ग पर बस चलाने की अनुमति हेतु आवेदन किया जाता है, तो उन्हें भी ऋषिकेश से कौड़ियाला तक ही अनुमति दी जाय।''

अतः प्राधिकरण मामले पर विचार कर आदेश पारित करने का कष्ट करें।

मद संख्या–06

श्री राजीव चोपड़ा, मैनेजर इन्सिटीट्यूशलन सैल्स, आयसर, कम्पनी के प्रत्यावेदन दिनांक 15–11–2011 पर विचार व आदेश।

मैनेजर इन्सिटीट्यूशलन सैल्स, आयसर, कम्पनी द्वारा अपने प्रत्यावेदन में उल्लेख किया है कि उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा लगभग 166 इन्च व्हीलबेस की बसों के चेसिस की मांग की जा रही है, जबकि कम्पनी के पास 166 इन्च के सापेक्ष 169.29 इन्च (4300 एम0एम0) के चेसिस उपलब्ध हैं। हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर राज्यों में आयसर कम्पनी की 20.15 H CWC BS III with 4300 mm (169.29 inch) की चेसिस संचालन के लिए अनुमत किया गया है। वर्तमान में 166 इन्च (06 सिलेण्डर, 4216 एम0एम0) व्हीलबेस के मानकों को पूरा करने वाला उत्पाद नहीं है। टाटा मोटर्स द्वारा मॉडल 1512 (166.3 इन्च, 4225 एम0एम0) बसों और भार वाहनों के चेसिस उपलब्ध कराये जा रहे हैं, जो कि निर्धारित 166 इन्च के मानकों से 10 एम0एम0 अधिक हैं। उनके द्वारा आयसर कम्पनी की 169.29 इन्च व्हीलबेस की बसों को भी अनुमति दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा मैसर्स स्नो लैपर्ड एड़वेन्चर प्रा0 लि0 की बस संख्या–यूके07पीसी–0215 (4760 एम0एम0 व्हीलबेस) को ऋषिकेश से कौडियाला तक की संचालन की अनुमति दी गयी थी। जिसके सम्बन्ध में मैसर्स जी0एम0ओ0यू0 लि0 एवं संयुक्त रोटेशन यातायात व्यवस्था

समिति द्वारा पौड़ी सम्भाग के पर्वतीय मार्ग पर 166 इन्च से अधिक व्हीलबेस की बसों को संचालन की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में आपत्ति की गयी है। वर्तमान में राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा राज्य के पर्वतीय मार्गों पर संचालन के लिए निम्न माप दण्डों की बसों को संचालन की अनुमति दी गयी है :–

मद	पौडी सम्भाग	देहरादून सम्भाग	कुमांऊ सम्भाग
व्हीलबेस	166 इन्च	देहरादून–मसूरी मार्ग पर 195 इन्च अन्य पर्वतीय मार्गों पर–171 इन्च ऋषिकेश–कौड़ियाला तक 187 इन्च	टनकपुर–पिथौरागढ–धारचुला मार्ग पर– 195 इन्च भवाली–खैरना–क्वारस–अल्मोड़ा मार्ग पर– 205 इन्च हल्द्वानी–नैनीताल वाया बल्दियाखान मार्ग पर–218 इन्च शेष पर्वतीय मार्गों पर–166 इन्च
समग्र चौड़ाई	250 से0मी0	250 से0मी0	250 से0मी0
ओवरहैंग	60 प्रतिशत	60 प्रतिशत	60 प्रतिशत

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–72 की उपधारा (2) (xxii), धारा–74 की उपधारा (2) (ix) एवं धारा–76 की उपधारा (3) (ii) में पूर्व में निर्धारित शर्तों में परिवर्तन करने एवं अतिरिक्त शर्त अधिरोपित करने के सम्बन्ध में निम्न प्राविधा किया गया है :–

"that the Regional Transport Authority may, after giving notice of not less than one month -
(a) vary the conditions of the permit ;
(b) attach to the permit further conditions;"

अतः प्राधिकरण मामले पर विचार कर आदेश पारित करने का कष्ट करें।

मद संख्या–07 (राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 31–10–2011 का स्थगित मद संख्या–8)

श्रीमती चम्पा वैला पत्नी श्री जगदीश चन्द्र, रानीखेत रोड़, रामनगर के रामनगर–श्री बद्रीनाथ तथा सम्बन्धित मार्ग के स्थायी सवारी गाड़ी परमिट संख्या–पीएसटीपी–33/एसटीए/यूए/एससी/2003 पर ऊंचे मॉडल की वाहन संख्या–यूपी16एटी–1697, मॉडल 1998 प्रतिस्थापित करने सम्बन्धी प्रत्यावेदन दिनांक 24–05–2011 पर विचार व आदेश।

श्रीमती चम्पा वैला पत्नी श्री जगदीश चन्द्र, निवासी पलगांव, अल्मोड़ा के नाम रामनगर–श्रीबद्रीनाथ तथा सम्बन्धित मार्ग का स्थायी सवारी गाड़ी परमिट संख्या–पीएसटीपी–33 है, जो दिनांक 07–01–2013 तक वैध है। इस परमिट पर वाहन संख्या यूए04–1497, मॉडल 1997 चल रही थी। प्रार्थिनी ने दिनांक 22–02–2010 को उक्त परमिट पर ऊंचे मॉडल की वाहन लगाने के लिए दो माह के समय की प्रार्थना की थी। परमिट धारक की प्रार्थना पर उन्हें ऊंचे मॉडल की वाहन लगाने के लिए दिनांक 22–02–2010 को दो माह का समय प्रदान किया गया था, जो दिनांक 21–04–2010 को समाप्त हो गया है। परमिट धारक द्वारा दी गयी समयावधि की समाप्ति के पश्चात् 458 दिन विलम्ब से उक्त परमिट पर ऊंचे मॉडल की वाहन संख्या यूपी16एटी–1697, मॉडल 1998 प्रतिस्थापन करने की प्रार्थना की थी। विलम्ब से वाहन लगाने के सम्बन्ध में राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड में कोई नीति निर्धारित न होने के कारण सहायक परिवहन आयुक्त (प्रशासन), उत्तराखण्ड द्वारा विलम्ब से प्राप्त प्रतिस्थापन के आवेदन पत्रों के मामलों पर नीति निर्धारित करने के सम्बन्ध में मामले को राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की आगामी बैठक में विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत करने की संस्तुति की गयी है।

परमिट पर वाहन प्रतिस्थापित करने के सम्बन्ध में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–83 में निम्न प्राविधान किया गया हैः–

"The holder of a permit may, with the permission of the authority by which the permit was granted, replace any vehicle covered by the permit by any other vehicle of the same nature".

अतः प्राधिकरण मामले पर विचार कर नीति निर्धारण करने के सम्बन्ध में आदेश पारित करना चाहें।

मद संख्या–08

मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–88 (9) के साथ पठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली–1989 के नियम–82 में दिये गये प्राविधानानुसार समस्त भारतवर्ष के मैक्सी कैब एवं ठेका बसों के परमिटों के लिए प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचार व आदेश।

1– मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–2 की उपधारा–(7) में ठेका गाड़ी को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया हैः–

''ठेका गाड़ी'' (कान्ट्रेक्ट कैरिज) से ऐसा मोटरयान अभिप्रेत है, जो भाड़े या पारिश्रमिक पर यात्री या यात्रियों का वहन करता है और जो किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे यान के सम्बन्ध में किसी प्रकार के धारक या इस निमित्त उसके द्वा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के साथ ऐसे सम्पूर्ण यान के उपयोग के लिये की गयी किसी अभिव्यक्त या विवक्षित संवि अधीन, उसमें वर्णित यात्रियों के किसी नियत या तय हुई दर या धनराशि पर–

(क) समय के आधार पर, चाहे वह किसी मार्ग या दूरी के प्रति निर्देश से है अथवा नहीं, या

(ख) एक स्थान से अन्य स्थान तक,

वाहन में लगा है, और इन दोनों में से किसी भी दशा में, यात्रा के दौरान ऐसे यात्रियों को, जो संविदा में सम्मिलित नहीं हैं, चढ़ाने या उतारने के लिये कहीं भी रूकता नहीं है, और इसके अन्तर्गत–

(i) बड़ी टैक्सी (मैक्सी कैब) और

(ii) मोटर टैक्सी (कैब), इस बात के होते हुये भी है कि इसके यात्रियों से अलग–अलग किराए प्रभारित किए जाते हैं।''

2– उपरोक्त के अतिरिक्त परमिटों हेतु आवेदन करने तथा परमिट स्वीकृत करने के सम्बन्ध में मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–80 की उपधारा–2 में निम्न प्राविधान किया गया हैः–

''प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण (राज्य परिवहन प्राधिकरण या धारा–66 की उपधारा (1) में विहित अन्य प्राधिकारी) साधारणतः इस अधिनियम के अधीन किसी भी समय किसी भी प्रकार के परमिट के लिए किए गए आवेदन को मंजूर करने से इन्कार नहीं करेगाः

परन्तु प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण कोई आवेदन संक्षिप्ततः नामंजूर कर सकेगा यदि आवेदन के अनुसार किसी परमिट के देने से यह प्रभाव पड़ेगा कि धारा–71 की उपधारा– 3 के खण्ड (क) के अधीन राजपत्र में अधिसूचना में नियत और विनिर्दिष्ट मंजिली गाड़ियों की संख्या में या धारा–74 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के अधीन र अधिसूचना में नियत और विनिर्दिष्ट ठेका–गाड़ियों की संख्या में वृद्धि होगी, परन्तु यह और कि जहां प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण (राज्य परिवहन प्राधिकरण या धारा–66 की उपधारा (1) में विहित अन्य प्राधिकारी) इस अधिनियम किसी भी प्रकार के परमिट देने सम्बन्धी आवेदन को नामंजूर कर देता है, वहां वह आवेदक को उसके नामंजूर किए जाने के अपने कारण लिखित रूप में देगा और इस विषय में उसे सुनवाई का अवसर देगा।

3– मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–74 की उपधारा–3 (क) में पॉच लाख से अन्यून जनसंख्या वाले शहरों के लिए निम्न प्राविधान किया गया हैः–

"राज्य सरकार, यदि उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा यानों की संख्या, सड़क की दशा और अन्य सुसंगत विषयों को ध्यान में रखते हुये, इस प्रकार निर्दिष्ट किया जाये तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राज्य परिवहन प्राधिक प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को यह निर्देश देगी कि वह 5 लाख से अन्यून जनसंख्या वाले शहरों में नगर मार्ग पर प्रचालित होने वाली साधारणतया ठेका गाड़ी या किसी विर्निदिष्ट किस्म की ठेका गाड़ी की संख्या को, जो अधि नियत और विनिर्दिष्ट की जाये, सीमित करे।"

4— इस सम्बन्ध में अवगत करना है कि राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 03—03—2001 की बैठक में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा मोटर कैब, मैक्सी कैब एवं ठेका बस प्रकार की वाहनों को समस्त भारतवर्ष एवं समस्त उत्तराखण्ड के परमिट उदार नीति से जारी किये जा रहे थे, परन्तु अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 08—08—2002 को उक्त प्रकार की वाहनों को परमिट जारी करने के प्रदत्त अधिकारों को प्रतिनिधानित न करने एवं सम्भाग में सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण तथा प्रदेश में राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में ही ऐसे परमिटों को जारी करने की व्यवस्था करने के निर्देश दिये गये थे। उक्त निर्देशों के पश्चात् केवल **वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार, बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड एवं सरकार द्वारा चलायी जा रही अन्य महत्वाकांक्षी योजनाओं के लाभार्थियों** को रोजगार सृजन के उद्देश्य से राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा अपनी बैठक दिनांक 20—6—2006 में अपने सचिव को लाभार्थियों द्वारा निवेदित परमिट प्राधिकरण से अनुमोदन की शर्त पर स्वीकृत/जारी करने के अधिकार प्रदत्त किए गये थे।

उपरोक्त आदेशों के पश्चात् चारधाम यात्रा में यात्रियों को सुगम, सस्ती एवं आरामदेह यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 30—04—2007 के अन्तर्गत अपने सचिव को प्राधिकरण की अनुमोदन की शर्त पर केवल समस्त भारतवर्ष के **मोटर कैब एवं मैक्सी कैब में यथा—इनोवा, टवेरा, स्कार्पियो एवं क्वॉलिस आदि सदृश्य** प्रकार की लग्जरी वाहनों को स्थाई परमिट एवं शेष प्रकार की हार्ड टॉप वाहनों को समस्त उत्तराखण्ड के अस्थाई परमिट स्वीकृत/जारी करने के अधिकार प्रदत्त किये गये हैं। उक्त प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा तद्नुसार स्थाई एवं अस्थाई परमिट स्वीकृत/जारी किये जा रहे हैं।

प्राधिकरण को यह भी अवगत कराना है कि केन्द्रीय मोटरयान नियमावली—1989 के नियम—82 उप नियम—2(क) में पर्यटक परमिट से आच्छादित वाहनों की मॉडल सीमा के सम्बन्ध में निम्न प्राविधान किया गया हैः—

''एक पर्यटक परमिट उस दिनांक से अवैध समझा जावेगा, जिस दिनांक को उस परमिट से आवृत्त मोटर यान मोटर कैब होने की दशा में 9 वर्ष तथा जहाँ मोटर कैब के अलावा अन्य मोटर यान है, तो 08 वर्ष पूरे क तक कि मोटर यान को बदला (Replaced) नहीं गया हो ।''

उपरोक्त के अतिरिक्त नियम–85 में निर्धारित पर्यटन परमिट की शर्तों के साथ जारी किए जाते हैं तथा मोटर कैब को छोड़कर मैक्सी कैब व बड़ी ठेका बसों में पर्यटकों के नाम, पते एवं आयु तथा यात्रा प्रारम्भ एवं गन्तव्य स्थान की सूची तीन प्रतियों में रखने का प्रतिबन्ध भी लगाया जाता है, परन्तु टूरिस्ट बसों (पर्यटन यान) के लिए वाहन की आयु सीमा 08 वर्ष निर्धारित है। पर्यटन यान के रूप में संचालन के लिए बसों के स्वरूप का प्राविधान केन्द्रीय मोटरयान नियमावली–1989 के नियम–128 में किया गया है।

वर्तमान में समस्त भारतवर्ष के मैक्सी कैब एवं ठेका बसों के निम्न आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैंः–

(1)–समस्त भारतवर्ष के मैक्सी कैबः–

समस्त भारतवर्ष के मैक्सी कैब परमिटों हेतु (यथा टाटा सूमो, महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा मैक्स, बुलेरो आदि सदृश्य प्रकार की वाहनों) प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–88 (9) के अन्तर्गत विचार व आदेश।

इस सम्बन्ध में प्राधिकरण को अवगत् कराना है कि राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा समस्त भारतवर्ष के मैक्सी कैब यथा–इनोवा, टवेरा, स्कार्पियो एवं क्वॉलिस आदि सदृश्य प्रकार की लग्जरी वाहनों को उदार नीति से तथा शेष अन्य प्रकार की हार्ड टॉप वाहनों को प्राधिकरण की बैठक से परमिट स्वीकृत/जारी किये जा रहे हैं। वर्तमान में समस्त भारतवर्ष के मैक्सी कैब के 2395 परमिट वैध हैं तथा दिनांक 25–11–2011 तक टाटा सूमो, महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा मैक्स, बुलेरो आदि प्रकार की वाहनों के स्थाई परमिट के **15** प्रार्थना पत्र लम्बित हैं, जिनका विवरण **परिशिष्ट–'क'** में वर्णित है।

(2)–समस्त भारतवर्ष के ठेका बसः–

समस्त भारतवर्ष के ठेका बस परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–88 (9) के अन्तर्गत विचार व आदेश।

इस सम्बन्ध में प्राधिकरण को अवगत् कराना है कि वर्तमान में समस्त भारतवर्ष के ठेका बस के **327** परमिट वैध हैं तथा दिनांक **25–11–2011** तक समस्त भारतवर्ष के स्थाई ठेका बस परमिटों हेतु **02** प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनका विवरण **परिशिष्ट 'ख'** में वर्णित है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचार कर आदेश पारित करने का कष्ट करें।

मद संख्या–09

समस्त उत्तराखण्ड के मोटर कैब, मैक्सी कैब एवं ठेका बस परमिटों हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार व आदेश।

1– मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–2 की उपधारा–(7) में ठेका यान को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया हैः–

'' ठेका गाड़ी'' (कान्ट्रेक्ट कैरिज) से ऐसा मोटरयान अभिप्रेत है जो भाड़े या पारिश्रमिक पर यात्री या यात्रि वहन करता है और जो किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे यान के सम्बन्ध में किसी प्रकार के धारक या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के साथ ऐसे सम्पूर्ण यान के उपयोग के लिये की गयी किसी अभिव्यक्त या विवक्षित संवि अधीन, उसमें वर्णित यात्रियों के किसी नियत या तय हुई दर या धनराशि पर–

(क) समय के आधार पर, चाहे वह किसी मार्ग या दूरी के प्रति निर्देश से है अथवा नहीं, या

(ख) एक स्थान से अन्य स्थान तक, और इन दोनों में से किसी भी दशा में, यात्रा के दौरान ऐसे यात्रियों को जो संविदा में सम्मिलित नहीं हैं, चढ़ाने या उतारने के लिये कहीं भी रूकता नहीं है, और इसके अन्तर्गत–

(i) बड़ी टैक्सी (मैक्सी कैब) और

(ii) मोटर टैक्सी (कैब), इस बात के होते हुये भी है कि इसके यात्रियों से अलग–अलग किराए प्रभारित किए जाते हैं।''

2– उपरोक्त के अतिरिक्त परमिटों हेतु आवेदन करने तथा परमिट स्वीकृत करने के सम्बन्ध में मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–80 की उपधारा–2 में निम्न प्राविधान किया गया हैः–

''प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण (राज्य परिवहन प्राधिकरण या धारा–66 की उपधारा (1) में विहित अन्य प्राधि साधारणतः इस अधिनियम के अधीन किसी भी समय किसी भी प्रकार के परमिट के लिए किए गए आवेदन को मंजूर करने से इन्कार नहीं करेगाः

परन्तु प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण कोई आवेदन संक्षिप्ततः नामंजूर कर सकेगा यदि आवेदन के अनुसार किसी परमिट के देने से यह प्रभाव पड़ेगा कि धारा–71 की उपधारा–3 के खण्ड (क) के अधीन राजपत्र में अधिसूचना नियत और विनिर्दिष्ट मंजिली गाड़ियों की संख्या में या धारा–74 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के अधीन राजपत्र अधिसूचना में नियत और विनिर्दिष्ट ठेका–गाड़ियों की संख्या में वृद्धि होगीः

परन्तु यह और कि जहां प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण (राज्य परिवहन प्राधिकरण या धारा–66 की उपधारा (1) में विहित अन्य प्राधिकारी) इस अधिनियम के अधीन किसी भी प्रकार के परमिट देने सम्बन्धी आवेदन को नामंजूर क है, वहां वह आवेदक को उसके नामंजूर किए जाने के अपने कारण लिखित रूप में देगा और इस विषय में उसे का अवसर देगा।

3– मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–74 की उपधारा–3 (क) में पॉच लाख से अन्यून जनसंख्या वाले शहरों के लिए निम्न प्राविधान किया गया हैः–

''राज्य सरकार, यदि उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा यानों की संख्या, सड़क की दशा और अन्य सुसंगत विषयों को ध्यान में रखते हुये, इस प्रकार र्निदिष्ट किया जाये तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राज्य परिवहन प्राधिकरण और प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को यह निर्देश देगी कि वह 5 लाख से अन्यून जनसंख्या वाले शहरों में नगर म प्रचालित होने वाली साधारणतया ठेका गाड़ी या किसी विर्निदिष्ट किस्म की ठेका गाड़ी की संख्या को, जो अधिसूचना में नियत और विनिर्दिष्ट की जाये, सीमित करे।''

4– इस सम्बन्ध में अवगत करना है कि राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 03–03–2001 की बैठक में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा मोटर कैब, मैक्सी कैब एवं ठेका बस प्रकार की वाहनों को समस्त भारतवर्ष/उत्तराखण्ड के परमिट उदार नीति से जारी किये जा रहे थे, परन्तु अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 08–08–2002 को उक्त प्रकार की वाहनों को परमिट जारी करने के प्रदत्त अधिकारों को प्रतिनिधानित न करने एवं सम्भाग में सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण तथा प्रदेश में राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में ही ऐसे परमिटों को जारी करने की व्यवस्था करने के निर्देश दिये गये थे तथा दिनांक 15–06–2005 की

बैठक में सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण को केवल समस्त भारतवर्ष के मोटर कैब वाहन परमिट स्वीकृत करने के अधिकार प्रदत्त किये गये।

उपरोक्त आदेशों के पश्चात् चारधाम यात्रा में यात्रियों को सुगम, सस्ती एवं आरामदेह यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 30–04–2007 के अन्तर्गत अपने सचिव को प्राधिकरण की अनुमोदन की शर्त पर नियमित बैठक होने तक हार्ड टॉप वाहनों को समस्त उत्तराखण्ड के अस्थाई परमिट स्वीकृत/जारी करने के अधिकार प्रदत्त किये गये हैं। उक्त प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा तद्नुसार स्थाई एवं अस्थाई परमिट स्वीकृत/जारी किये जा रहे हैं।

5– उपरोक्त के अतिरिक्त प्राधिकरण को यह भी अवगत् कराना है कि राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड ने अपनी बैठक दिनांक 15–04–2004 में समस्त भारतवर्ष/उत्तराखण्ड के मोटर कैब, मैक्सी कैब एवं ठेका बस परमिट स्वीकृत करने विषयक नीति निर्धारित की थी कि **प्राधिकरण द्वारा परमिट स्वीकृत करने के उपरान्त ही आवेदक वाहन क्रय करेंगे तथा वित्त पोषक (फाईनेन्सर) बिना परमिट स्वीकृति के वाहन वित्त पोषित नहीं करेगा। परमिट स्वीकृत न होने की दशा में ऐसे वाहनों के अनधिकृत संचालन तथा फाईनेन्सर की देय किश्तों का भुगतान न करने की दशा में वाहन स्वामी के साथ–साथ वित्त पोषक भी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा विक्रेता (डीलर) द्वारा वाहन तभी विक्रय की जाय जब तक प्रार्थी परमिट स्वीकृत होने का प्रमाण प्रस्तुत न करे। यदि प्राधिकरण की उक्त नीति के विरूद्ध आवेदक स्वेच्छा से वाहन क्रय करते हैं, वित्त पोषक बिना परमिट स्वीकृति के वाहन वित्त पोषित करता है एवं डीलर वाहन विक्रय करता है तो प्राधिकरण ऐसे प्रार्थियों को परमिट स्वीकृत करने के लिए बाध्य नहीं होगा।** प्राधिकरण की उक्त नीति से सर्वसम्बन्धित के सूचनार्थ दिनांक 15–04–2004 को विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया, जो दिनांक 16–04–2004 के दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी।

वर्तमान में समस्त उत्तराखण्ड के मोटर कैब, मैक्सी कैब एवं ठेका बस परमिटों के निम्न आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं:–

(1)–समस्त उत्तराखण्ड के मोटर कैबः–

समस्त उत्तराखण्ड के मोटर कैब परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–74 के अन्तर्गत विचार व आदेश।

इस सम्बन्ध में प्राधिकरण को अवगत् कराना है कि वर्तमान में समस्त उत्तराखण्ड के मोटर कैब/जीप टैक्सी के **569** परमिट वैध हैं तथा दिनांक **25–11–2011** तक समस्त उत्तराखण्ड के स्थायी मोटर कैब परमिटों हेतु **08** प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनका विवरण **परिशिष्ट–'ग'** में वर्णित है।

(2)–समस्त उत्तराखण्ड के मैक्सी कैबः–

समस्त उत्तराखण्ड के मैक्सी कैब परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–74 के अन्तर्गत विचार व आदेश।

इस सम्बन्ध में प्राधिकरण को अवगत् कराना है कि वर्तमान में समस्त उत्तराखण्ड के मैक्सी कैब के **4607** परमिट वैध हैं तथा दिनांक **25–11–2011** तक समस्त उत्तराखण्ड के स्थायी मैक्सी कैब परमिटों हेतु **26** प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनका विवरण **परिशिष्ट–'घ'** में वर्णित है।

(3)–समस्त उत्तराखण्ड के ठेका बसः–

समस्त उत्तराखण्ड के ठेका बस परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–74 के अन्तर्गत विचार व आदेश।

इस सम्बन्ध में प्राधिकरण को अवगत् कराना है कि वर्तमान में समस्त उत्तराखण्ड के ठेका बस के **167** परमिट वैध हैं तथा दिनांक **25–11–2011** तक समस्त उत्तराखण्ड के स्थायी ठेका बस परमिटों हेतु **03** प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनका विवरण **परिशिष्ट–'च'** में वर्णित है।

मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–74 में दिये गये प्राविधानानुसार राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा समस्त उत्तराखण्ड के मोटर कैब, मैक्सी कैब एवं ठेका बसों को 09 वर्ष की मॉडल सीमा के प्रतिबन्ध के साथ एवं मैक्सी कैब/ठेका बसों के परमिटों पर ठेका गाड़ी के लिए अधिसूचित मार्गों को छोड़कर की शर्त एवं अन्य शर्तों के साथ–साथ उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली–1998 के नियम–70 में दी गई शर्तें अधिरोपित की जाती हैं।

मद संख्या–10

श्री योगेश अग्रवाल, अनमोल टूर एण्ड ट्रैवल्स के समस्त भारतवर्ष के मोटर कैब परमिट नवीनीकरण एवं हस्तान्तरण करने के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन दिनांक 30–11–2011 पर विचार व आदेश।

1– श्रीमती नीलम अग्रवाल के नाम समस्त भारतवर्ष का मोटर कैब परमिट संख्या–5154 है, जो दिनांक 10–08–2011 तक वैध है। उक्त परमिट पर वाहन संख्या–यूए07एन–8610 मॉडल, 2006 संचालित है एवं परमिट संख्या–5167, जो दिनांक 20–08–2011 तक वैध था। जिस पर वाहन संख्या–यूए07एम–4740 मॉडल 2006 संचालित है। श्री योगेश अग्रवाल द्वारा क्रमशः दिनांक 08–08–2011 एवं 21–07–2011 द्वारा उक्त परमिटों के नवीनीकरण के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, परन्तु परमिट धारक की मृत्यु हो जाने एवं परमिटों की वैधता समाप्त हो जाने के कारण परमिटों का नवीनीकरण नहीं किया गया। श्री योगेश अग्रवाल द्वारा अवगत कराया गया है कि उनकी पत्नी श्रीमती नीलम अग्रवाल जो अनमोल टूर एण्ड ट्रैवल्स की प्रोपराइटर है। उनकी सड़क दुर्घटना में मई, 2011 में मृत्यु हो गयी थी। जिसमें वे भी बुरी तरह घायल हो गये थे। पत्नी की मृत्यु के कारण वे मानसिक रूप से भी बीमार हो गये। उनका स्वास्थय ठीक होने पर वाहनों के कागजात समाप्त हो गये थे। श्री योगेश अग्रवाल द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से दिनांक 08–08–2011 एवं 21–07–2011 को नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जबकि उनकी पत्नी की मृत्यु दिनांक 04–05–2011 को हो चुकी थी। परमिट धारक के पति द्वारा उक्त दोनों परमिटों का नवीनीकरण की स्वीकृति प्रदान करने हुये परमिट मृतका के पुत्र श्री अनमोल अग्रवाल पुत्र श्री योगेश अग्रवाल के नाम हस्तान्तरण करने की प्रार्थना की है। उक्त परमिट श्री अनमोल अग्रवाल के नाम हस्तान्तरण किये जाने पर श्री योगेश अग्रवाल एवं कु0 सुनाक्षी अग्रवाल को कोई आपत्ति नहीं होगी। उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र शपथ पत्र में उल्लेख किया है कि उक्त दोनों परमिट श्री अनमोल अग्रवाल के नाम हस्तान्तरण किये जाते हैं तो उनको कोई आपत्ति नहीं है तथा अनमोल अग्रवाल द्वारा मृतका के वारिसानों के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी, सदर, देहरादून के पत्र संख्या–341/वारि0प्र0प0–2011 दिनांक 20–05–2011 द्वारा जारी वारिसान पत्र की छायाप्रति संलग्न की गयी है। जिसमें मृतका के निम्न वारिसान दर्शाये गये हैं :–

क्र0सं0	उत्तरजीवियों के नाम	उम्र	मृतक से सम्बन्ध	विवरण
1	श्री योगेश अग्रवाल	49	पति	–
2	कु0 सुनाक्षी अग्रवाल	22	पुत्री	अविवाहित
3	अनमोल अग्रवाल	18	पुत्र	अविवाहित

श्री अनमोल अग्रवाल के पिता श्री योगेश अग्रवाल द्वारा नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र कार्यालय में समय से प्रस्तुत किया गया था परन्तु परमिट धारक की मृत्यु होने की सूचना कार्यालय में नहीं दी गयी थी। जब परमिट धारक की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुयी, उस समय परमिट समाप्त हो चुका था। परमिट नवीनीकरण के सम्बन्ध में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–81 में निम्न प्राविधान किया गया है :–

''(1) धारा–87 के अधीन दिए गए अस्थायी परमिट या धारा–8 की उपधारा (8) के अधीन दिए गए विशेष परमिट से भिन्न परमिट, उसके जारी करने या नवीनीकरण की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होंगे :

परन्तु जहां परमिट धारा–88 की उपधारा (1) के अधीन प्रतिहस्ताक्षरित है, वहां ऐसा प्रतिहस्ताक्षर नवीकरण के बिना ऐसी अवधि के लिए प्रभावी रहेगा जिससे की प्राथमिक परमिट की विधिमान्यता के समसामयिक हो सके।

(2) परमिट का नवीकरण उसके अवसान की तारीख से कम से कम पन्द्रह दिन पहले किए गए आवेदन पर किया जा सकेगा।

(3) उप–धारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण या राज्य परिव प्राधिकरण परमिट के नवीकरण के लिए आवेदन को उस उप–धारा में विनिर्दिष्ट अन्तिम तारीख के पश्चात् ग्रहण सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदक विनिर्दिष्ट समय के अन्दर आवेदन करने से उचित और पर्याप्त हेतुक से निवारित हो गया था।

परमिट धारक की मृत्यु हो जाने पर परमिट हस्तान्तरण के सम्बन्ध में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–82 (2) में निम्न प्राविधान किया गया है :–

''(2) जहां किसी परमिट के धारक की मृत्यु हो जाती है, वहां परमिट के अन्तर्गत आने वाले यानों का कब्जा ल वाला उत्तरवर्ती व्यक्ति परमिट का उपयोग तीन मास की अवधि के लिए करेगा मानों वह उसे दिया गया हो :

परन्तु वह तब जब कि ऐसे व्यक्ति ने धारक की मृत्यु के तीन दिन के अन्दर उस परिवहन प्राधिकरण के जिससे परमिट दिया था, धारक की मृत्यु की और परमिट का उपयोग करने के अपने आशय की सूचना दी हो :

परन्तु यह और कि किसी भी परमिट का इस प्रकार उपयोग उस तारीख के पश्चात् नहीं किया जाएगा जिसको वह मृत धारक के पास हो, नवीकरण के बिना प्रभावी नहीं रह जाता।

(3) परिवहन प्राधिकरण, उसको किये गये आवेदन पर परमिट के धारकों की मृत्यु के तीन मास के अन्दर परमिट के अन्तर्गत आने वाले यानों का कब्जा लेने वाले उत्तरवर्ती व्यक्ति को परमिट का अन्तरण कर सकेगा।

परन्तु परिवहन प्राधिकरण तीन मास की अवधि के अवान के पश्चात् किये गये आवेदन को उस दशा में ग्रहण कर सकेगा जब उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदक विनिर्दिष्ट समय के भीतर आवेदन करने से उचित और पर्याप्त हेतुक से निवारित हो गया था।''

अतः प्राधिकरण उक्त दोनों परमिटों का नवीनीकरण करने एवं परमिट श्री अनमोल अग्रवाल के नाम हस्तान्तरण करने के सम्बन्ध में आदेश पारित करने का कष्ट करें।

मद संख्या–11

समस्त भारतवर्ष के मोटर कैब परमिट संख्या–3404, 5326, 5342, 6306, 7713, 7714, 7811, 8295, 8305, 11699 एवं 11780 को श्रीमती नीलम अग्रवाल पत्नी श्री योगेश अग्रवाल के नाम से श्री अनमोल अग्रवाल पुत्र श्री योगेश अग्रवाल, निवासी 38/1 टैगोर विला, देहरादून के नाम हस्तान्तरण के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 03–11–2011 पर विचार व आदेश।

श्रीमती नीलम अग्रवाल पत्नी श्री योगेश अग्रवाल, 38/1 टैगोर विला, देहरादून के नाम समस्त भारतवर्ष के 11 मोटरकैब परमिट हैं, जिनका विवरण निम्नवत है :–

क्र0सं0	वाहन संख्या	मॉडल	परमिट संख्या	वैधता
1	UA07D-7677	2003	3404/STA/AI	16–01–2013
2	UA07Q-2602	2007	5326/STA/AI	11–01–2012
3	UA07Q-3660	2007	5342/STA/AI	18–01–2012
4	UK07TA-0091	2007	6306/STA/AI	21–01–2013
5	UK07TA-1677	2009	7713/STA/AI	01–03–2014
6	UK07TA-1676	2009	7714/STA/AI	01–03–2014
7	UK07TA-2200	2009	7811/STA/AI	20–03–2014
8	UK07TA-2310	2009	8295/STA/AI	28–06–2014

9	UK07TA-2314	2009	8305/STA/AI	01—07—2014
10	UK07TA-4537	2011	11699/STA/AI	01—04—2016
11	UK07TA-4695	2011	11780/STA/AI	20—04—2016

दिनांक 03—11—2011 को श्री अनमोल अग्रवाल पुत्र श्री योगेश अग्रवाल द्वारा उक्त परमिटों को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु आवेदन किया गया है तथा आवेदन पत्रों के साथ संलग्न शपथ पत्र में उल्लेख किया है कि उनकी माता श्रीमती नीलम अग्रवाल पत्नी श्री योगेश अग्रवाल का दिनांक 04—05—2011 को निधन हो गया है तथा मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं उप जिलाधिकारी, सदर, देहरादून द्वारा जारी वारिसान प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुये उक्त परमिटों को अपने नाम हस्तान्तरण की प्रार्थना की है तथा मृतका के पति एवं पुत्री द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त परमिट श्री अनमोल अग्रवाल के नाम हस्तान्तरण करने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। वे उन्हें जायज कानूनी वारिस मानते हैं और इन तीनों के अतिरिक्त मृतका का कोई अन्य कानूनी वारिस नहीं है। श्री अनमोल अग्रवाल द्वारा जो मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है उसमें परमिट धारक की मृत्यु दिनांक 04—05—2011 को हो गयी है। उनके द्वारा उपजिलाधिकारी (सदर), देहरादून द्वारा दिनांक 20—05—2011 को जारी वारिसान पत्र की छायाप्रति संलग्न की है, जिसमें निम्न वारिसान दर्शाये गये हैं :—

क्र0सं0	**उत्तरजीवियों के नाम**	**उम्र**	**मृतक से सम्बन्ध**	**विवरण**
1	श्री योगेश अग्रवाल	49	पति	—
2	कु0 सुनाक्षी अग्रवाल	22	पुत्री	अविवाहित
3	अनमोल अग्रवाल	18	पुत्र	अविवाहित

इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि मृतका के वारिसान द्वारा उनकी मृत्यु की सूचना समय से नहीं दी गयी है। परमिट धारक की मृत्यु हो जाने पर परमिट हस्तान्तरण के सम्बन्ध में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा—82 (2) में निम्न प्राविधान किया गया है :—

''(2) जहां किसी परमिट के धारक की मृत्यु हो जाती है, वहां परमिट के अन्तर्गत आने वाले यानों का कब्जा लेने वाला उत्तरवर्ती व्यक्ति परमिट का उपयोग तीन मास की अवधि के लिए करेगा मानों वह उसे दिया गया हो :

परन्तु वह तब जब कि ऐसे व्यक्ति ने धारक की मृत्यु के तीन दिन के अन्दर उस परिवहन प्राधिकरण के जिससे परमिट दिया था, धारक की मृत्यु की और परमिट का उपयोग करने के अपने आशय की सूचना दी हो :

परन्तु यह और कि किसी भी परमिट का इस प्रकार उपयोग उस तारीख के पश्चात् नहीं किया जाएगा जिसको वह मृत धारक के पास हो, नवीकरण के बिना प्रभावी नहीं रह जाता।

(3) परिवहन प्राधिकरण, उसको किये गये आवेदन पर परमिट के धारकों की मृत्यु के तीन मास के अन्दर परमिट के अन्तर्गत आने वाले यानों का कब्जा लेने वाले उत्तरवर्ती व्यक्ति को परमिट का अन्तरण कर सकेगा।

परन्तु परिवहन प्राधिकरण तीन मास की अवधि के अवान के पश्चात् किये गये आवेदन को उस दशा में ग्रहण कर सकेगा जब उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदक विनिर्दिष्ट समय के भीतर आवेदन करने से उचित और पर्याप्त हेतुक से निवारित हो गया था।''

अतः प्राधिकरण उक्त परमिटों का श्री अनमोल अग्रवाल के नाम हस्तान्तरण करने के सम्बन्ध में आदेश पारित करने का कष्ट करें।

मद संख्या–12 {राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 31–10–2011 का स्थगित अन्य मद संख्या–16 (5)}

देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर तथा सम्बन्धित मार्ग के स्थायी सवारी गाड़ी परमिटों के नवीनीकरण के प्रार्थना पत्रों के सम्बन्ध में श्री अतुल सिंघल, देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर मोटर यूनियन, देहरादून के प्रत्यावेदन दिनांक 25–10–2011 पर विचार व आदेश।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर तथा सम्बन्धित मार्ग की कुल लम्बाई लगभग 206 कि0मी0 है, जिसमें से 44 कि0मी0 भाग उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। उत्तराखण्ड गठन से पूर्व उक्त मार्ग अर्न्तसम्भागीय मार्ग की श्रेणी में परिभाषित था तथा राज्य गठन के पश्चात् इस मार्ग का तिमली (विकासनगर–सहारनपुर मार्ग) से शाकुम्बरी देवी तक का मार्ग भाग उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ने के कारण यह मार्ग अर्न्तराज्यीय मार्ग की श्रेणी में परिभाषित है। प्रश्नगत मार्ग पर पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जारी परमिटों पर निजी संचालकों की वाहनें संचालित हैं। मार्ग पर पूर्व में जारी किये गये कतिपय परमिट धारकों के परमिट समाप्त हो जाने पर उनके द्वारा परमिटों के नवीनीकरण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। परमिट के नवीनीकरण के आवेदन पत्रों को स्वीकार अथवा नामंजूर करने के सम्बन्ध में मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–81 में निम्न प्राविधान किया गया है:–

81- (2) A permit may be renewed on an application made not less than fifteen days before the date of its expiry.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), the Regional Transport Authority or the State Transport Authority as the case may be, entertain an application for the renewal of a permit after the last date specified in that sub-section if it is satisfied that the applicant was prevented by good and sufficient cause from making an application within the time specified.

(4) The Regional Transport Authority or the State Transport Authority, as the case may be, may reject an application for the renewal of a permit on one or more of the following grounds, namely:-

(a) the financial condition of the applicant as evidenced by insolvency, or decrees for payment of debts remaining unsatisfied for a period of thirty days, prior to the date of consideration of the application,

(b) the applicant had been punished twice or more for any of the following offences within twelve months reckoned from fifteen days prior to the date of consideration of the application commited as a result of the opeartion of a stage carriage service by the applicant, namely :-

(i) plying any vehicle -

(1) without payment of tax due on such vehicle;

(2) without payment of tax during the grace period allowed for payment of such tax and then stop the plying of such vehicle;

(3) on any unauthorised route;

(ii) making unauthorised trips;

Provided that in computing the number of punishments for the purpose of clause (b), any punishment stayed by the order of an appellate authority shall not be taken into account:

Provided further that no application under this sub-section shall be rejected unless an opportunity of being heard is given to the applicant.

देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर तथा सम्बन्धित मार्ग का तिमली से आगे शाकुम्बरी देवी वाया बेहट तक का भाग सहारनपुर (उत्तर प्रदेश राज्य) में पड़ने से यह मार्ग अन्तर्राज्यीय मार्ग की श्रेणी में परिभाषित है। अन्तर्राज्यीय मार्गों पर परमिट स्वीकृत/जारी करने के सम्बन्ध में मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा 88 की उपधारा– (1), (5) व (6) में निम्न प्राविधान किया गया हैः–

"Section 88- Validation of permits for use outside region in which granted- (1) Except as may be otherwise prescribed, a permit granted by the Regional Transport Authority of any one region shall be valid in any other region, unless the permit has been countersigned by the Regional Transport Authority of that other region, and a permit granted in any one State shall not be valid in any other State unless countersigned by the State Transport Authority of that other State or by the Regional Transport Authority concerned;

Provided that a goods carriage permit, granted by the Regional Transport Authority of any one region, for any area in any other region or regions within the same State shall be valid in that area without the counter signature of the Regional Transport Authority of the other region or of each of the other regions concerned;

Provided further that where both the starting point and the terminal point of a route are situate within the same State, but part of such route lies in any other State and the length of such part does not exceed sixteen kilometres, the permit shall be valid in the other State in respect of that part of the route which is in that other

State notwithstanding that such permit has not been countersigned by the State Transport Authority or the Regional Transport Authority of that other State;

Provided also that-

(a) where a motor vehicle covered by a permit granted in one State is to be used for the purposes of defence in any other State, such vehicle shall display a certificate, in such form, and issued by such Authority, as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify, to the effect that the vehicle shall be used for the period specified therein exclusively for the purposes of defence; and

(b) any such permit shall be valid in that other State notwithstanding that such permit has not been countersigned by the State Transport Authority or the Regional Transport Authority of that other State."

(5) Every proposal to enter into an agreement between the States to fix the number of permits which is proposed to be granted or countersigned in respect of each route or area; shall be published by each of the State Governments concerned in the Official Gazette and in any one or more of the newspapers in regional language circulating in the area or route proposed to be covered by the agreement together with a notice of the date before which representations in connection therewith may be submitted, and the date not being less than thirty days from the date of publication in the Official Gazette, on which, and the authority by which, and the time and place at which, the proposal and any representation received in connection therewith will be considered.

(6) Every agreement arrived at between the States shall, in so far as it relates to the grant of countersignature of permits, be published by each of the State Governments concerned in the Official Gazette and in any one or more of the newspapers in the regional language circulating in the area or route covered by the agreement and the State Transport Authority of the State and the Regional Transport Authority concerned shall give effect to it."

उक्त प्राविधानों के अन्तर्गत वर्तमान में उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य के मध्य मंजिली गाड़ी परिवहन करार लम्बित होने के कारण देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर मार्ग के परमिटों का नवीनीकरण नहीं किया जा रहा था परन्तु दिनांक 28–02–2009 एवं 23–07–2009 की बैठकों में मार्ग यूनियन की प्रार्थना पर उक्त मार्ग के परमिटों का नवीनीकरण परमिट धारकों की परेशानी के दृष्टिगत राज्य की सीमा तक किया जा रहा था।

परन्तु प्राधिकरण की बैठक दिनांक 23–10–2009 के पश्चात देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर तथा सम्बन्धित मार्ग पर परमिट स्वीकृत न करने के सम्बन्ध में मार्ग के एक परमिट धारक श्री जमशेद अली द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में स्पेशल अपील संख्या–201/2009 दायर की गयी है, जिसमें मा0 न्यायालय की युगल पीठ द्वारा दिनांक 26–10–2009 को निम्न आदेश पारित किये गये थेः–

Prima facie, it appears that in the absence of a reciprocal agreement between the State of Uttarakhand and the State of U.P. as required u/s 88(1) and (5) of the Motor Vehicles Act, 1988, the advertisement issued for inviting applications for grant of permit on the route, namely, Dehradun-

Vikasnagar-Dak Pathar and its allied routes appears to be without jurisdiction Consequently, till the next date of listing, the State Transport Authority respondent No.2 is restrained from granting any permit on Dehradun-Vikasnagar-Dak Pathar and its allied routes unless there exists a reciprocal agreement between the State Uttarakhand and State of U.P.

मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के उक्त आदेशों के पश्चात् देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर तथा सम्बन्धित मार्ग के परमिटों के नवीनीकरण के प्रार्थना पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में याचिका संख्या–396/2010 बालकिशन अग्रवाल व अन्य बनाम् राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड व अन्य दायर की गयी थी, जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 04–05–2010 को निम्न आदेश पारित किये गये हैं :–

The respondent No.4 i.e. State Transport Authority Uttarakhand, Dehradun is directed to take decisions on the application moved by the petitioners, annexed as annexure No.2 to the writ petition in accordance with law, expeditiously, preferably within a period of six weeks from the date of production of cerfified copy of this order.

The modification application stands disposed of finally.

(B.S.Verma, J.)
04-05-2010

मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के उक्त आदेशों के अनुपालन में मामले को राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 14–07–2010 में प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण द्वारा मामले पर विचारोपरान्त निम्न आदेश पारित किये गये:–

''मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा याचिका संख्या–396/2010 में याचिकाकर्ताओं के प्रत्यावेदनों पर निर्णय लेने के निर्देश दिये गये हैं। दूसरी ओर मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल की युगल पीठ द्वारा स्पेशल अपील संख्या–201/2009 में अपने आदेश दिनांक 26–10–2009 में देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर तथा सम्बन्धित मार्ग प स्थाई सवारी गाड़ी परमिट स्वीकृत करने पर रोक लगाई है, जो प्रभावी है।

अतः उक्त आवेदकों (याचीगणों) के स्थाई सवारी गाड़ी परमिट संख्या–पीएसटीपी 1533/83, 1534/10, 1536, 1535/71, 1078, 1530/125, एवं 1539 के नवीनीकरण के प्राप्त प्रार्थना पत्रों को मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के

स्पेशल अपील संख्या–201/2009 में पारित आदेश दिनांक 26–10–2009 के दृष्टिगत स्थगित रखा जाता है। उक्त स्पेशल अपील में मा0 उच्च न्यायालय के अन्तिम आदेश पारित होने पर प्राधिकरण मामले पर पुनः विचार करेगी

राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा पारित उक्त आदेशों के पश्चात् प्रश्नगत मार्ग पर परमिटों के नवीनीकरण हेतु **11** प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये थे, जिनको राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30–07–2010 के मद संख्या–13 में विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण द्वारा उक्त 11 प्रार्थना पत्रों के सम्बन्ध में निम्न आदेश पारित किये गये हैं :–

''मद संख्या–13 में उल्लिखित स्थायी सवारी गाड़ी परमिट संख्या–पीएसटीपी–1072/115, 1524, 1521, 1526/75, 1537/87, 1538, 1541/72, 1543, 1546, 1547 एवं 1775 के नवीनीकरण के प्राप्त प्रार्थना पत्रों को उच्च न्यायालय, नैनीताल में दायर स्पेशल अपील संख्या–201/2009 में पारित आदेश दिनांक 26–10–2009 के दृष्टिगत स्थगित रखा जाता है। उक्त स्पेशल अपील में मा0 उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश पारित होने पर माम पुनः प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।''

मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में विचाराधीन स्पेशल अपील संख्या–201/2009 श्री जमशेद अली बनाम उत्तराखण्ड राज्य में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा दिनांक 04–04–2011 को दिनांक 26–10–2009 में पारित अंतरिम आदेश को निरन्तर (Continue) किया गया है। प्रश्नगत मार्ग पर मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के स्थगन आदेश आज भी प्रभावी हैं। वर्तमान में देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर तथा सम्बन्धित मार्ग पर परमिट नवीनीकरण के 22 प्रार्थना पत्र लम्बित हैं। जिनका विवरण **परिशिष्ट 'छ'** में वर्णित है।

मद संख्या–13 {राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 31–10–2011 का स्थगित अन्य मद संख्या–16 (8)}

ऑटो रिक्शा वाहनों के पूर्व में निर्धारित किराये की दरों में रूपया 7.00 प्रति कि0मी0 के स्थान पर रूपया 12.00 प्रति कि0मी0 करने विषयक प्रत्यावेदन पर विचार व आदेश।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अध्यक्ष, दून ऑटो रिक्शा यूनियन द्वारा दिनांक 31–10–2011 की बैठक में प्राधिकरण ऑटो रिक्शा किराये की पूर्व में निर्धारित दरों में वृद्धि करने सम्बन्धी प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें उल्लेख किया गया था कि ऑटो रिक्शा किराये की दर राज्य परिवहन प्राधिकरण ने रू0 7/– प्रति कि0मी0 तय की है, यूनियन आपके संज्ञान में यह बात लाना चाहती है कि असल में बढ़ती मंहगाई और वाहन के रख रखाव के खर्चे

मिलाकर हमें देहरादून के ऑटो चालकों को सही मायने में प्रति कि0मी0 कीमत एल0पी0जी0 7.27 रूपये, डीजल ऑटो में 6.29 रूपये, पैट्रोल ऑटो में 8.57 रूपये में प्रति कि0मी0 पर सवारी हमें पड़ रही है। चूंकि शासन ने हमें 7.00 प्रति कि0मी0 की दर से किराया लेना तय किया गया है लेकिन इस दर पर यदि ऑटो चालक वाहन का संचालन करते हैं तो वह घाटे पर कर रहे हैं, और यह जाहिर सी बात है कि घाटे पर कभी कोई भी व्यवसाय नही चलता फिर या तो लाभ उठाने के लिए ऑटो चालक अधिक दाम वसूले जो कि मौजूदा स्थिति में ऑटो चालकों द्वारा 12 रूपये प्रति कि0मी0 लिया जा रहा है और देहरादून की जनता इसे स्वेच्छा से दे भी रही है। इस कारण 12/– रूपये प्रति कि0मी0 होने पर मंहगाई का जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यद्यपि यह एक अपराध की श्रेणी में आता है लेकिन दुर्भाग्य वश ही सही प्रति दिन ऑटो चालकों द्वारा यह अपराध किया जा रहा है। क्योंकि यह अपराध ऑटो चालक नहीं करेगे तो एक बेहतर समाज के निर्माण की जिस नींव का सपना प्रदेश सरकार कई वर्षों से संजो रही है उसमें इस कारोबार से जुडे लोग एक भी कदम अपने बच्चों को नहीं चला पायेगें ना अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा, ना ही बेहतर भविष्य दे सकेंगे। प्राधिकरण द्वारा ऑटो रिक्शा यूनियन के उक्त प्रत्यावेदन पर विचार करते हुये निम्न आदेश पारित किये गये थे :–

''प्राधिकरण द्वारा इनके तर्कों को सुना गया और सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण के गैर सरकारी सदस्य श्री राकेश गोयल की अध्यक्षता में समिति गठित करने का निर्णय लिया जाता है। समिति में श्री दिनेश पठोई, सहाय सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून एवं ऑटो रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष सदस्य होंगे। उक्त समिति द्वारा ऑटो रिक्शा वाहनों के यात्री किराये के सम्बन्ध में सर्वेक्षण करते हुए, अपनी आख्या 10 दिन के अन्दर उपलब्ध करायेंगे। उ संस्तुति/आख्या को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।''

प्राधिकरण के उक्त निर्देशों के अनुपालन में श्री राकेश गोयल, सदस्य, राज्य परिवहन प्राधिकरण, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून एवं अध्यक्ष, ऑटो रिक्शा यूनियन को ऑटो रिक्शा वाहनों के यात्री किराये के सम्बन्ध में सर्वेक्षण कर अपनी आख्या प्रस्तुत करने हेतु कार्यालय के पत्र संख्या–3974/एसटीए/दस–63/2011 दिनांक 28–11–2011 द्वारा निर्देश दिये गये थे। जिसका उत्तर अपेक्षित है।

इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा अपनी बैठक दिनांक 30–07–2010 के संकल्प संख्या–7 के अन्तर्गत ऑटो रिक्शा वाहनों की यात्री किराये की दरें निम्नवत निर्धारित की गयी हैं :–

''रूपये 7.00 तथा न्यूनतम किराया दर रू0–17.00 निर्धारित करते हुए रात्रि सेवा 10.00 बजे से प्रातः 5.00 बजे तक संचालित ऑटो रिक्शा के लिए 25 प्रतिशत अतिरिक्त किराये में वृद्धि।''

अतः प्राधिकरण मामले पर विचार कर आदेश पारित करने का कष्ट करें।

मद संख्या–14 {राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 31–10–2011 का स्थगित मद संख्या–14}

पंतजलि योगपीठ, महर्षि दयानन्द, हरिद्वार की वाहन संख्या–यूके08पीए–1001 को समस्त भारतवर्ष का ठेका बस परमिट जारी करने सम्बन्धी प्रत्यावेदन दिनांक 30–05–2011 पर विचार व आदेश।

पंतजलि योगपीठ के नाम बस संख्या–यूके08पीए–1001 है। जो दिनांक 23–05–2011 को हरिद्वार कार्यालय में पंजीकृत है। उक्त वाहन में 30 सीट बैठने की तथा 15 स्लीपर हैं। केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–128 में समस्त भारतवर्ष से आच्छादित बसों के सीट और सीटों के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था दी गयी हैः–

(ii) Seating layout shall be 5[two and two or one and two or one and one] on either side, all seats facing forward, with a clear gangway of at least 355 millimetres width at the centre. Each passenger seat shall have a minimum area of 447 millimetres × 457 millimetres and an arm rest on both sides and seat back of full height.

(iii) The seat frames shall be sturdy, properly finished and so mounted as to transfer the weight directly to the structural members of framework. The seats shall be of reclining type and adjustable.

(iv) The seats shall be so mounted as to provide at least 280 millimetres leg room from the front of the rear seat to the back of the front seat. A foot rest at suitable location and height shall be provided for every passenger.

वाहन में 30 सीटों के अतिरिक्त 15 स्लीपर लगे होने के कारण सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हरिद्वार से वाहन की सीटों की लम्बाई, चौड़ाई, गैंग स्पैस, गैंगवे आदि ए0आई0टी0पी0 के मानकों के अनुरूप है अथवा नहीं के सम्बन्ध में पत्र संख्या–2065/एसटीए/2011–12 दिनांक 23–06–2011 द्वारा अपनी सुस्पष्ट आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशों के अनुपालन में परिवहन अधिकारी, हरिद्वार ने अपने पत्र संख्या–120/टी0आर0/यूके08पीए–1001/11 दिनांक 04–07–2011 द्वारा निम्न आख्या प्रेषित की हैः–

''1– वाहन संख्या–यूके08पीए–1001 जो पतांजलि योगपीठ ट्रस्ट, महर्षि दयानन्द ग्राम, दिल्ली–हरिद्वार हाईवे, हरिद्वार के नाम से दिनांक 23–05–2011 को किया गया है, जिसके अनुसार निम्न प्रकार है :–

(1) ड्राईवर साईड के पीछे 2 x 2 की सीटें लगी हैं, और ड्राईवर के लैफ्ट साईड की ओर 1 x 1 की सीटें लगी हैं जिसकी 01 सीट की लम्बाई 1 फीट 8 इंच व चौड़ाई 1 फीट 10 इंच है। वाहन में कुल दायी साईड की आ x 2=16 एवं बायीं ओर 8 x 1=8 एवं बैक साईड में 04 सीटें लगी है। इस प्रकार 28 सीटें + 1 ड्राईवर सीट + 1 कन्डक्टर सीट कुल 30 सीट लगी है।

(2) वाहन में ड्राईवर साईड की पीछे की तरफ 5 स्लीपर दो व्यक्तियों के सोने के लिये एवं बायी तरफ 05 स्लीपर 1 व्यक्ति के सोने के लिये बनायें गये हैं, इस प्रकार दायी ओर 5 x 2=10 व्यक्ति एवं बायी ओर 5 x 1=5 कुल 15 व्यक्तियों के सोने की व्यवस्था है। स्लीपर वाहन के फ्लौर से 4 फीट 7 इंच पर बनाये गये, फ्लौर से ऊपर तक की छत की ऊंचाई 8 फीट 1 इंच है। दायी साईड के स्लीपर की लम्बाई 6 फीट व चौड़ाई 4 फीट है। बायी साईड स्लीपर की लम्बाई 6 फीट व चौड़ाई 2 फीट 2 इंच है।

(3) लेग स्पेस 1 फीट 8 इंच।

(4) वाहन में गेंगवे 2 फीट 2 इंच है।

(5) ड्राईवर सीट के पास कन्डक्टर सीट लगी है।

(6) वाहन में 28 व्यक्तियों के बैठने की सीटें तथा 1 कन्डक्टर व 1 ड्राईवर की सीट है। इस प्रकार बैठने की 28+2 सीटें एवं 10+5 व्यक्तियों के सोने की व्यवस्था है।

(7) वाहन का व्हीलबेस 20 फीट 4 इंच है।

(8) वाहन का ओवर हैंग 10 फीट 11 इंच है।

(9) वाहन की चौड़ाई अन्दर से 8 फीट 1 इंच है।

इस प्रकार की वाहन पहली बार हरिद्वार कार्यालय में पंजीकृत हुई। भविष्य के लिये उत्तराखण्ड के सभी परिवहन कार्यालयों में उक्त प्रकार के वाहनों के पंजीकरण मे एकरूपता बनाए जाने के लिये सड़क सुरक्षा की दृष्टि से कर इत्यादि की गणना एवं स्लीपर के दृष्टिकोण से वाहनों के पंजीयन के सम्बन्ध में दिशा निर्देश दिये जाने क चाहेंगे।''

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–128 में प्राविधानित सभी विशिष्टियों की पूर्ति हो रही है। स्लीपर की अतिरिक्त व्यवस्था की गयी है जो नियम–128 में वर्णित नहीं है। स्लीपर सीट पर टैक्स की व्यवस्था उत्तरांचल कराधान सुधार अधिनियम, 2003 की प्रथम अनुसूची के स्पष्टीकरण (दो) में निम्नवत की गयी है :–

"Where a motor vihicle is equipped with sleeping berths, each sleeping berth shall, for the purposes of Article I and II this part be regarded as the equivalent of two passenger seats."

प्राधिकरण द्वारा अपनी बैठक दिनांक 31–10–2011 में उत्तराखण्ड राज्य के पड़ोसी राज्यों द्वारा उक्त प्रकार की वाहनों को परमिट दिये जाने के सम्बन्ध में क्या नीति अपनायी जा रही है, के सम्बन्ध में स्थिति ज्ञात करने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त निर्देशों के अनुपालन में कार्यालय के पत्र संख्या–3988/एसटीए/दस–82/2011 दिनांक 30–11–2011 द्वारा परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एवं गुजरात से उनके राज्य में उक्त प्रकरण पर क्या नीति अपनायी जा रही है, के सम्बन्ध में अवगत कराने का अनुरोध किया गया है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचार कर आदेश पारित करने का कष्ट करें।

मद संख्या–15

समस्त भारतवर्ष के मोटरकैब परमिटों में परमिटों से आच्छादित वाहन को परमिट जारी करने की तिथि से 05 वर्ष तक निजी वाहन के रूप में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी, की पूर्व में अधिरोपित शर्त पर विचार व आदेश।

उत्तराखण्ड गठन से पूर्व पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा समस्त भारतवर्ष के मोटरकैब, मैक्सी कैब परमिटों पर संचालित वाहनों को परमिट जारी करने की तिथि से 05 वर्ष तक निजी वाहन के रूप में परिर्वतन की अनुमति नही दिये जाने की शर्त अधिरोपित की गयी थी। जो वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में भी लागू है। पूर्व में वाहन स्वामी द्वारा मोटरकैब, मैक्सी कैब वाहन क्रय करने के पश्चात् उसे व्यवसायिक वाहन के रूप में पंजीकृत करने पर वाहन निर्माताओं द्वारा उक्त वाहनों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट दी जाती थी। सम्भवतः उक्त प्रकार के व्यवसायिक वाहनों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में छूट दिये जाने के उद्देश्य से ''05 वर्ष तक वाहन निजी में परिवर्तित नहीं की जायेगी की'' शर्त अधिरोपित की गयी होगी। वर्तमान में मोटरकैब वाहनों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में छूट नहीं दी जा रही है। प्रार्थी द्वारा भी अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया है कि उनकी वाहन को उत्पादन शुल्क से छूट नहीं दी गयी है।

उक्त प्रकरण को राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 31–10–2011 के अन्य मद–16(3) के अन्तर्गत विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण द्वारा मामले पर विचारोपरान्त उक्त शर्त को यथावत लागू रखने के निर्देश दिये गये हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि केन्द्र सरकार द्वारा जिन व्यसायिक मोटरकैब वाहनों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की छूट से वंचित रखा है। ऐसे वाहनों अधिरोपित की गयी उपरोक्त शर्त में संशोधन करने के सम्बन्ध में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–74 की उपधारा (2) के खण्ड (ix) में निम्न प्राविधान किया गया है :–

"That the Regional Transport Authority may, after giving notice of not less than one month-

(a) vary tha conditions of the permit ;

(b) attach to the permit further conditions;"

अतः प्राधिकरण मामले पर विचार कर आदेश निर्गत करने का कष्ट करें।

मद संख्या–16

समस्त भारतवर्ष/उत्तराखण्ड के मोटर कैब, मैक्सी कैब एवं बसों को उदारनीति से ठेका गाड़ी परमिट जारी करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।

इस सम्बन्ध में अवगत करना है कि राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 03–03–2001 की बैठक में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा मोटर कैब, मैक्सी कैब एवं ठेका बस प्रकार की वाहनों को समस्त भारतवर्ष एवं समस्त उत्तराखण्ड के परमिट उदार नीति से जारी किये जा रहे थे, परन्तु अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 08–08–2002 को उक्त प्रकार की वाहनों को परमिट जारी करने के प्रदत्त अधिकारों को प्रतिनिधानित न करने एवं सम्भाग में सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण तथा प्रदेश में राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में ही ऐसे परमिटों को जारी करने की व्यवस्था करने के निर्देश दिये गये थे।

उक्त निर्देशों के अनुपालन में समस्त भारतवर्ष के मोटर कैब एवं मैक्सी कैब में लग्जरी वाहनों के परमिट सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत उदारनीति से प्राधिकरण की नियमित बैठक में अनुमोदन की शर्त पर स्वीकृत/जारी किये जा रहे हैं तथा शेष प्रकार के ठेका वाहनों के परमिट प्राधिकरण की नियमित बैठक से स्वीकत/जारी किये जा रहे हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त परमिटों हेतु आवेदन करने तथा परमिट स्वीकृत करने के सम्बन्ध में मोटरयान अधिनियम—1988 की धारा—80 की उपधारा—2 में निम्न प्राविधान किया गया है:—

''प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण (राज्य परिवहन प्राधिकरण या धारा—66 की उपधारा (1) में विहित अन्य प्राधि साधारणतः इस अधिनियम के अधीन किसी भी समय किसी भी प्रकार के परमिट के लिए किए गए आवेदन को मंजूर करने से इन्कार नहीं करेगा:

परन्तु प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण कोई आवेदन संक्षिप्ततः नामंजूर कर सकेगा यदि आवेदन के अनुसार किसी परमिट के देने से यह प्रभाव पड़ेगा कि धारा—71 की उपधारा—3 के खण्ड (क) के अधीन राजपत्र में अधिसूचना और विनिर्दिष्ट मंजिली गाड़ियों की संख्या में या धारा—74 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के अधीन राजपत्र में अधिसूचना में नियत और विनिर्दिष्ट ठेका—गाड़ियों की संख्या में वृद्धि होगी, परन्तु यह और कि जहां प्राद प्राधिकरण (राज्य परिवहन प्राधिकरण या धारा—66 की उपधारा (1) में विहित अन्य प्राधिकारी) इस अधिनियम के अधीन किसी भी प्रकार के परमिट देने सम्बन्धी आवेदन को नामंजूर कर देता है, वहां वह आवेदक को उसके नामंजूर जाने के अपने कारण लिखित रूप में देगा और इस विषय में उसे सुनवाई का अवसर देगा।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचार कर आदेश पारित करने का कष्ट करें।

<u>मद संख्या—17</u>

समस्त भारतवर्ष/उत्तराखण्ड के मोटर कैब, मैक्सी कैब वाहनों के परमिटों के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जो नीति अपनायी जा रही है, उसी नीति के अन्तर्गत ठेका बस परमिटों के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में विचार व आदेश।

<u>मद संख्या—18</u>

राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड के परमिटों से आच्छादित वाहन स्वामियों द्वारा परमिट समाप्त परमिट यथा समय कार्यालय में जमा न करने पर ऐसे परमिटों के सम्बन्ध में शास्ति का प्राविधान करने पर विचार व आदेश।

कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा उनकी वाहनों के परमिट समाप्त हो जाने के पश्चात् वाहन स्वामी द्वारा समाप्त परमिट न तो कार्यालय में जमा किया जाता है और न ही परमिट का नवीनीकरण किया जाता है। वाहन स्वामी ऐसी दशा में कर आदि जमा कर वाहन का संचालन अनधिकृत रूप से करता रहता है, जिससे एक ओर अनधिकृत संचालन को बढ़ावा मिलने के साथ—साथ बिना वैध प्रपत्रों के वाहन संचालन पर दुर्घटना होने पर दुर्घटना में मृतक/घायलों को राहत राशि दिया जाना सम्भव नहीं हो पाता है।

अतः प्राधिकरण उक्त प्रकार के अनधिकृत रूप से संचालित वाहनों के संचालन पर अंकुश लगाने हेतु शास्ति निर्धारित करने के सम्बन्ध में नीति निर्धारित करने पर विचार व आदेश पारित करने का कष्ट करें।

मद संख्या–19

अन्य मद अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकरण की आज्ञा से ।

सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड।

राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 05–12–2011 की कार्यवाही ।

उपस्थितिः–

1–	श्री आर0सी0 पाठक, आई0ए0एस0 परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।	अध्यक्ष।
2–	श्री ललित मोहन, मुख्य अभियन्ता, स्तर–1, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।	सदस्य।
3–	श्री राकेश गोयल, शिवमूर्ति, जस्सारामं रोड़, हरिद्वार।	सदस्य।
4–	श्री हरीश पन्त, सांई कॉलोनी, अल्मोड़ा।	सदस्य।
5–	श्री विनोद प्रसाद रतूड़ी, सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।	सचिव।

————————————————————————

<u>संकल्प संख्या–01</u>

मद संख्या–01 के अन्तर्गत राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 31–10–2011 की कार्यसूची के मद संख्या–01 से 16 तक एवं अन्य मद के बिन्दु संख्या–01 से 08 में पारित आदेशों का अनुमोदन किया जाता है।

<u>संकल्प संख्या–02</u>

मद संख्या–02 के अन्तर्गत बिन्दु संख्या–**(अ), (ब), (स) एवं (द)** में सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड/ सहायक परिवहन आयुक्त (प्रशासन) द्वारा उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम–57 के अधीन प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये गये परमिटों के प्रार्थना पत्रों पर पारित आदेशों का अनुमोदन किया जाता है।

<u>संकल्प संख्या–03</u>

मद संख्या–02 के अन्तर्गत मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–82(1) में दिये गये प्राविधानानुसार समस्त भारतवर्ष/उत्तराखण्ड के मोटर कैब एवं मैक्सी कैब परमिटों के हस्तान्तरण के कुल **25** मामलों में सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड/सहायक परिवहन आयुक्त (प्रशासन) द्वारा प्रतिनिधायन के अधीन प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत पारित आदेशों का अनुमोदन किया जाता है।

<u>संकल्प संख्या–04</u>

मद संख्या–04 के अन्तर्गत मोटर कैब एवं मैक्सी कैब परमिटों की मॉडल सीमा पूर्व की भांति करने सम्बन्धी अध्यक्ष, गढ़वाल जीप टैक्सी समिति, कोटद्वार के प्रत्यावेदन को प्राधिकरण की बैठक में विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

गढ़वाल जीप टैक्सी समिति, कोटद्वार के प्रतिनिधियों को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने हेतु पुकारा गया। पुकारने पर श्री बी0डी0 धूलिया, सचिव, गढ़वाल जीप टैक्सी समिति, कोटद्वार, श्री महेन्द्र सिंह नेगी व श्री भारत भूषण, अध्यक्ष, गढ़वाल जीप टैक्सी समिति, कोटद्वार प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुए। उनके द्वारा प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि ''राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 20–06–2006 के संकल्प संख्या–07 में यह निर्णय लिया गया था कि जीप टैक्सी/मैक्सी कैब वाहनों की आयु सीमा 15 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष किया गया है व 10 वर्ष खत्म हो जाने के बाद 2 वर्ष तथा 6 माह के अन्तराल में भौतिक निरीक्षण करने के बाद ही स्वस्थता प्रमाण पत्र जारी किया जाए। इसी बैठक में यह निर्णय भी लिया गया था कि दिनांक 20–06–2006 से पहले 15 वर्ष की आयु सीमा की अवधि के लिए जारी किये गये परमिटों से आच्छादित वाहनों की मॉडल सीमा 15 वर्ष ही रहेगी। 15 वर्ष पूर्ण होने पर ऐसे परमिटों पर ऊंचे मॉडल की वाहन प्रतिस्थापित करते समय 12 वर्ष की मॉडल सीमा की शर्त अधिरोपित की जाए।

परिवहन अधिकारी, पौड़ी द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है। जिन वाहनों की आयु सीमा पूर्व में 15 वर्ष निर्धारित की गई थी उनको अगर वह वाहन स्वामी बेचता है व दूसरा वाहन स्वामी वाहन को अपने नाम परमिट ट्रान्सफर करता है तो उसकी आयु सीमा 12 वर्ष कर दी जाती है। जो कि परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 20–06–2006 के संकल्प संख्या–7 के अनुरूप नहीं है। क्योंकि वाहन का रजिस्ट्रेशन व नम्बर व मॉडल वही है सिर्फ मालिक ही बदली हुआ है। इस स्थिति में वाहन की आयु सीमा घटाना सरासर गलत है। इससे गाड़ी मालिकों को आर्थिक क्षति होगी। उनके द्वारा जिन वाहनों की परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 20–06–2006 से पूर्व में 15 वर्ष की आयु सीमा के परमिट जारी किये गये हैं, इनका ट्रान्सफर करते समय उन वाहनों की आयु सीमा 15 वर्ष पूर्व की भांति यथावत रखे जाने का अनुरोध किया गया।''

प्राधिकरण द्वारा गढ़वाल जीप टैक्सी समिति, कोटद्वार के प्रतिनिधियों को विस्तार से सुना गया। सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की बैठक दिनांक 20–06–2006 के मद संख्या–7 में लिया गया निर्णय पूर्व परमिट पर संचालित वाहन परमिट सहित यदि दूसरे के नाम हस्तान्तरण किया जाता है तो ऐसे परमिटों पर आच्छादित वाहनों की मॉडल सीमा 15 वर्ष मानी जाय अथवा 12 वर्ष की मॉडल सीमा निर्धारित करने के सम्बन्ध में न्याय विभाग का परामर्श प्राप्त किया जाय। न्याय विभाग का परामर्श प्राप्त होने के पश्चात् तद्नुसार अग्रिम कार्यवाही की जाय।

संकल्प संख्या–05

मद संख्या–05 के अन्तर्गत राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 31–10–2011 के मद संख्या–7 के अन्तर्गत मैसर्स स्नो लैपर्ड एडवेन्चर प्रा0 लि0 की 4760 एम0एम0 व्हीलबेस की वाहन संख्या–यूके07पीसी–0215 को ऋषिकेश–श्रीनगर मार्ग पर ऋषिकेश से कौड़ियाला तक दी गयी अनुमति के सम्बन्ध में संयुक्त रोटेशन यातायात व्यवस्था समिति, ऋषिकेश एवं गढ़वाल मोटर्स ओनर्स यूनियन लिमिटेड, कोटद्वार के पत्र क्रमशः दिनांक 05–11–2011 एवं 12–11–2011 पर विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया। प्राधिकरण द्वारा पुकारा गया। पुकारने पर आवेदक अनुपस्थित पाये गये। आवेदक अनुपस्थित होने के कारण मामले को प्राधिकरण की आगामी बैठक के लिए स्थगित किया जाता है।

संकल्प संख्या–06

मद संख्या–06 के अन्तर्गत श्री राजीव चोपड़ा, मैनेजर इन्सिटीट्यूशनल सैल्स, आयसर, कम्पनी के प्रत्यावेदन दिनांक 15–11–2011 को प्राधिकरण के समक्ष विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया। उक्त कम्पनी के प्रतिनिधि को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने हेतु पुकारा गया। पुकारने पर कम्पनी के प्रतिनिधि श्री नरेन्द्र उपस्थित हुये। उनके

द्वारा प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा लगभग 166 इन्च व्हीलबेस की बसों के चेसिस की मांग की जा रही है, जबकि कम्पनी के पास 166 इन्च के सापेक्ष 169.29 इन्च (4300 एम0एम0) के चेसिस उपलब्ध हैं। हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर राज्यों में आयसर कम्पनी की 20.15 H CWC BS III with 4300 mm (169.29 inch) की चेसिस संचालन के लिए अनुमत किया गया है। उनकी कम्पनी की वाहनें कुमांऊ सम्भाग में संचालित हैं। परन्तु पौड़ी सम्भाग में 166 इन्च व्हीलबेस की बसें संचालन हेतु अधिकृत होने के कारण टी0जी0एम0ओ0सी0, ऋषिकेश एवं जी0एम0ओ0यू0, कोटद्वार की बसें रोटेशन से संचालित होने के कारण उनके द्वारा आयसर कम्पनी के चेसिस क्रय नहीं किये जा रहे हैं। वर्तमान में 166 इन्च (06 सिलेण्डर, 4216 एम0एम0) व्हीलबेस के मानकों को पूरा करने वाला उत्पाद नहीं है। टाटा मोटर्स द्वारा मॉडल 1512 (166.3 इन्च, 4225 एम0एम0) बसों और भार वाहनों के चेसिस उपलब्ध कराये जा रहे हैं, जो कि निर्धारित 166 इन्च के मानकों से 10 एम0एम0 अधिक हैं। उनके द्वारा आयसर कम्पनी की 169.29 इन्च व्हीलबेस की बसों को भी अनुमति दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा उक्त कम्पनियों के प्रतिनिधियों को विस्तार से सुना गया। सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि पौड़ी सम्भाग में 166 इन्च व्हीलबेस की वाहनें संचालन हेतु अनुमन्य हैं। उक्त मापदण्डों में संशोधन से पूर्व पौड़ी सम्भाग के प्रत्येक मार्गों के मार्ग सर्वेक्षण हेतु समिति गठित की जाय। समिति मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी की अध्यक्षता में गठित करते हुये समिति में आई0आई0पी0, मोहक्कमपुर, देहरादून, सीमा सड़क संगठन, ऋषिकेश के प्रतिनिधि एवं श्री सुधांशु गर्ग, सम्भागीय परिवहन अधिकारी, पौड़ी सदस्य होंगे। उक्त तकनीकी समिति के गठन का शासन स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय। समिति की सर्वेक्षण आख्या प्राप्त होने के उपरान्त मामले को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

संकल्प संख्या–07

मद संख्या–07 के अन्तर्गत श्रीमती चम्पा वैला पत्नी श्री जगदीश चन्द्र, रानीखेत रोड़, रामनगर के रामनगर–श्री बद्रीनाथ तथा सम्बन्धित मार्ग के स्थायी सवारी गाड़ी परमिट संख्या–पीएसटीपी–33/एसटीए/यूए/एससी/2003 पर ऊंचे मॉडल की वाहन संख्या–यूपी16एटी–1697, मॉडल 1998 प्रतिस्थापित करने सम्बन्धी प्रत्यावेदन दिनांक 24–05–2011 को प्राधिकरण के समक्ष विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

परमिट धारक को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने हेतु पुकारा गया। पुकारने पर परमिट धारक अनुपस्थित पाये गये। परमिट धारक की अनुपस्थिति के कारण मामले को प्राधिकरण की आगामी बैठक के लिए स्थगित किया जाता है तथा परमिटों पर प्रतिस्थापन के मामलों में विलम्ब से वाहन लगाने के सम्बन्ध में निम्न नीति निर्धारित की जाती है :–

क्र0सं0	**विलम्ब अवधि**	**शुल्क (रूपये में)**
1	02 से 06 माह तक	4000.00
2	06 माह से 01 वर्ष तक	5000.00
3	01 वर्ष के पश्चात् परमिट पर वाहन लगाने की अनुमति स्वतः परमिट धारक को बिना कोई नोटिस दिये हुए निरस्त समझी जाय।	

उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संकल्प संख्या–08

मद संख्या–08 के परिशिष्ट– **'क'** एवं **'ख'** में उल्लिखित समस्त भारतवर्ष के मैक्सी कैब एवं ठेका बस परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों को विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

प्राधिकरण द्वारा मामले पर सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया कि मद के परिशिष्ट–**'क' एवं 'ख'** में उल्लिखित सभी प्रार्थियों को निवेदित परमिट मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–80 के साथ पठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली–1989 के नियम–82 एवं 85 में दी गई व्यवस्थानुसार पांच वर्ष की अवधि के लिए पूर्व प्रतिबन्धों एवं सामान्य शर्तों, ठेका गाड़ी के लिए राष्ट्रीयकरण की योजनानुसार प्रतिबन्धित मार्गों को छोड़कर, की शर्तों के साथ स्वीकृत किये जाते हैं। स्वीकृत परमिट प्राप्त करने हेतु **02** माह का समय प्रदान किया जाता है। प्राधिकरण द्वारा दी गयी समयावधि समाप्त हो जाने के पश्चात स्वीकृति स्वतः समाप्त समझी जायेगी। समय की गणना स्वीकृति पत्र के जारी होने की तिथि से की जायेगी।

संकल्प संख्या–09

मद संख्या–09 के परिशिष्ट– **'ग', 'घ', 'च'** में उल्लिखित समस्त उत्तराखण्ड के मोटर कैब, मैक्सी कैब एवं ठेका बस परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों को विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

प्राधिकरण द्वारा मामले पर गम्भीरता से विचार विमर्श किया तथा सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि मद के परिशिष्ट–**'ग', 'घ', 'च'** में उल्लिखित सभी प्रार्थियों एवं बैठक के दौरान प्रस्तुत किए गये आवेदकों द्वारा निवेदित परमिट मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–74 एवं 80 में दिये गये प्राविधानानुसार पांच वर्ष की अवधि के लिए पूर्व प्रतिबन्धों एवं सामान्य शर्तों, ठेका गाड़ी के लिए राष्ट्रीयकरण की योजनानुसार प्रतिबन्धित मार्गों को छोड़कर, की शर्तों के प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत किये जाते हैं। स्वीकृत परमिट प्राप्त करने हेतु **02** माह का समय प्रदान किया जाता है।

प्राधिकरण द्वारा दी गयी समयावधि समाप्त हो जाने के पश्चात स्वीकृति स्वतः समाप्त समझी जायेगी। समय की गणना स्वीकृति पत्र के जारी होने की तिथि से की जायेगी।

संकल्प संख्या–10

मद संख्या–10 के अन्तर्गत अनमोल टूर एण्ड ट्रैवल्स के समस्त भारतवर्ष के मोटर कैब परमिट संख्या–5154 एवं 5167 के नवीनीकरण एवं हस्तान्तरण करने के सम्बन्ध में श्री योगेश अग्रवाल के प्रत्यावेदन दिनांक 30–11–2011 को प्राधिकरण के समक्ष विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

श्री योगेश अग्रवाल को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने हेतु पुकारा गया। पुकारने पर श्री योगेश अग्रवाल प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुये। उनके द्वारा प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि उनकी पत्नी श्रीमती नीलम अग्रवाल के नाम पर समस्त भारतवर्ष का मोटर कैब परमिट संख्या–5154 एवं 5167 है, जिस पर क्रमशः वाहन संख्या–यूए07एन–8610, मॉडल 2006 एवं वाहन संख्या–यूए07एन–4740, मॉडल 2006 चल रही हैं। उक्त परमिटों के नवीनीकरण के प्रार्थना पत्र समय से प्रस्तुत किये गये थे। परन्तु पत्नी की मृत्यु एवं स्वयं दुर्घटना में घायल होने के कारण मैं समय से अपनी पत्नी की मृत्यु की सूचना कार्यालय में न दे सका। जब मेरा स्वास्थ्य ठीक हुआ तब परमिट समाप्त हो चुके थे। ऐसी स्थिति में विलम्ब से प्रत्यावेदन देने के सम्बन्ध में प्राधिकरण जो भी दण्ड निर्धारित करे, मुझे मान्य है। उक्त परमिटों को नवीनीकरण की स्वीकृति प्रदान करते हुये उक्त परमिटों को मेरे पुत्र श्री अनमोल अग्रवाल के नाम हस्तान्तरित कर दिया जाय।

प्राधिकरण द्वारा श्री योगेश अग्रवाल द्वारा दिये गये तर्कों पर गम्भीरता से विचार किया गया। सम्यक् विचारोपरान्त समस्त भारतवर्ष के मोटर कैब परमिट संख्या–5154 एवं 5167 का नवीनीकरण रूपया 3000–3000 प्रशमन शुल्क के साथ पूर्व प्रतिबन्धों एवं सामान्य शर्तों के साथ–साथ उक्त परमिट श्रीमती नीलम अग्रवाल पत्नी श्री योगेश अग्रवाल के

नाम से मृतका के वारिस श्री अनमोल अग्रवाल पुत्र श्री योगेश अग्रवाल के नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है। स्वीकृत नवीनीकरण व हस्तान्तरण प्राप्त करने हेतु वाहन के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर दो माह का समय प्रदान किया जाता है। समय की गणना स्वीकृति पत्र के जारी होने की तिथि से की जायेगी।

संकल्प संख्या–11

मद संख्या–11 के अन्तर्गत समस्त भारतवर्ष के मोटर कैब परमिट संख्या–3404, 5326, 5342, 6306, 7713, 7714, 7811, 8295, 8305, 11699 एवं 11780 को श्रीमती नीलम अग्रवाल पत्नी श्री योगेश अग्रवाल के नाम से श्री अनमोल अग्रवाल पुत्र श्री योगेश अग्रवाल, निवासी 38/1 टैगोर विला, देहरादून के नाम हस्तान्तरण के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 03–11–2011 को विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

श्री योगेश अग्रवाल को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने हेतु पुकारा गया। पुकारने पर श्री योगेश अग्रवाल प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुये उनके द्वारा प्राधिकरण को अवगत कराया कि उनकी पत्नी श्रीमती नीलम अग्रवाल की वाहन दुर्घटना मे मृत्यु हो गयी है। श्रीमती नीलम अग्रवाल, अनमोल टूर एण्ड ट्रैवल्स की प्रोपराइटर थी। उनके नाम पर समस्त भारतवर्ष के 15 मोटर कैब परमिट हैं। वाहन दुर्घटना में पत्नी की मृत्यु एवं स्वयं घायल हो जाने के कारण मैं समय से पत्नी की मृत्यु की सूचना कार्यालय में नहीं दे सका। उनके द्वारा समस्त भारतवर्ष के निम्नलिखित मोटर कैब परमिटों को मृतका के वारिस श्री अनमोल अग्रवाल पुत्र श्री योगेश अग्रवाल के नाम हस्तान्तरण की प्रार्थना की है :–

क्र0सं0	परमिट संख्या	वाहन संख्या	मॉडल	वैधता
1	3404/STA/AI	UA07D-7677	2003	16–01–2013
2	5326/STA/AI	UA07Q-2602	2007	11–01–2012

3	5342/STA/AI	UA07Q-3660	2007	18—01—2012
4	6306/STA/AI	UK07TA-0091	2007	21—01—2013
5	7713/STA/AI	UK07TA-1677	2009	01—03—2014
6	7714/STA/AI	UK07TA-1676	2009	01—03—2014
7	7811/STA/AI	UK07TA-2200	2009	20—03—2014
8	8295/STA/AI	UK07TA-2310	2009	28—06—2014
9	8305/STA/AI	UK07TA-2314	2009	01—07—2014
10	11699/STA/AI	UK07TA-4537	2011	01—04—2016
11	11780/STA/AI	UK07TA-4695	2011	20—04—2016

प्राधिकरण ने श्री योगेश अग्रवाल के तर्क सुनने, उपजिलाधिकारी, सदर, देहरादून द्वारा जारी किये गये वारिसान पत्र दिनांक 20—05—2011 एवं मृत्यु प्रमाण पत्र का अवलोकन करते हुये गम्भीरता से विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा—82 की उपधारा (2) के परन्तुक में वर्णित शक्ति का प्रयोग करते हुये समस्त भारतवर्ष के मोटर कैब परमिट संख्या—3404, 5326, 5342, 6306, 7713, 7714, 7811, 8295, 8305, 11699 एवं 11780 को स्व0 श्रीमती नीलम अग्रवाल पत्नी श्री योगेश अग्रवाल, निवासी 38/1 टैगोर विला, देहरादून के नाम से श्री अनमोल अग्रवाल पुत्र श्री योगेश अग्रवाल, निवासी 38/1 टैगोर विला, देहरादून के नाम पर पूर्व प्रतिबन्धों एवं सामान्य शर्तों के साथ परमिट हस्तान्तरण स्वीकृत किये जाते हैं। स्वीकृत हस्तान्तरण प्राप्त करने हेतु वाहन के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर दो माह का समय प्रदान किया जाता है। समय की गणना स्वीकृति पत्र के जारी होने की तिथि से की जायेगी।

संकल्प संख्या–12

मद संख्या–12 के अन्तर्गत देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर तथा सम्बन्धित मार्ग के स्थायी सवारी गाड़ी परमिटों के नवीनीकरण के प्रार्थना पत्रों के सम्बन्ध में श्री अतुल सिंघल, देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर मोटर यूनियन, देहरादून के प्रत्यावेदन दिनांक 25–10–2011 को प्राधिकरण के सम्मुख विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

श्री अतुल सिंघल को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने हेतु पुकारा गया। पुकारने पर सर्व श्री अतुल सिंघल, सुधीर जैन, एस0के0 श्रीवास्तव, रामकुमार सैनी व जमशेद अली प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुये। श्री अतुल सिंघल द्वारा प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर तथा सम्बन्धित मार्ग, अन्तर्राज्यीय मार्ग होने एवं उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य के मध्य पारस्परिक परिवहन करार लम्बित होने के कारण मार्ग यूनियन की प्रार्थना पर मार्ग के कुछ परमिटों का नवीनीकरण प्राधिकरण की बैठक क्रमशः दिनांक 28–02–2009 एवं 23–10–2009 में उत्तराखण्ड राज्य की सीमा तक किया जा रहा था। मार्ग यूनियन के एक परमिट धारक श्री जमशेद अली द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में स्पेशल अपील संख्या–201/2009 दायर की गयी। उक्त अपील में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 26–10–2009 को जो आदेश पारित किये गये हैं, वह नवीनीकरण के लिए लागू नहीं होते हैं। उनके द्वारा उक्त मार्ग के परमिटों का नवीनीकरण पूर्व की भांति उत्तराखण्ड की सीमा तक करने का अनुरोध किया गया है। श्री जमशेद अली द्वारा प्राधिकरण के समक्ष एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उल्लेख किया गया है कि स्पेशल अपील संख्या–201/2009 में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा दिनांक 26–10–2009 को जो आदेश पारित किये गये हैं, वह राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा धारा–88 के अन्तर्गत नये परमिट जारी करने पर रोक लगायी गयी है। शपथकर्ता द्वारा कभी भी प्रश्नगत मार्ग के परमिटों के नवीनीकरण जो कि एम0वी0एक्ट की धारा–81 में उत्तराखण्ड राज्य की सीमा के लिए नवीनीकृत किये जाने हैं तथा बैठक दिनांक 28–02–2009 एवं 23–10–2009 में नवीनीकृत किये जा चुके हैं, के

विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल अथवा किसी अन्य न्यायालय में कोई वाद योजित नहीं किया गया है। यदि उक्त मार्ग के परमिटों का नवीनीकरण उत्तराखण्ड राज्य की सीमा तक किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य के मध्य मंजिली गाड़ी परिवहन करार लम्बित होने के कारण राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर तथा सम्बन्धित मार्ग के परमिटों का नवीनीकरण नहीं किया जा रहा था। मार्ग यूनियन एवं मार्ग के परमिट धारकों की प्रार्थना पर राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा अपनी बैठक दिनांक 28–02–2009 एवं 23–10–2009 में परमिट धारकों की परेशानी के दृष्टिगत उक्त मार्ग के परमिटों का नवीनीकरण उत्तराखण्ड राज्य की सीमा तक किया जा रहा था। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 23–10–2009 के पश्चात देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर तथा सम्बन्धित मार्ग पर परमिट स्वीकृत न करने के सम्बन्ध में मार्ग के एक परमिट धारक श्री जमशेद अली द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में स्पेशल अपील संख्या–201/2009 दायर की गयी है, जिसमें मा0 न्यायालय की युगल पीठ द्वारा दिनांक 26–10–2009 को निम्न आदेश पारित किये गये थेः–

Prima facie, it appears that in the absence of a reciprocal agreement between the State of Uttarakhand and the State of U.P. as required u/s 88(1) and (5) of the Motor Vehicles Act, 1988, the advertisement issued for inviting applications for grant of permit on the route, namely, Dehradun-Vikasnagar-Dak Pathar and its allied routes appears to be without jurisdiction Consequently, till the next date of listing, the State Transport Authority respondent No.2 is restrained from granting any permit on Dehradun-Vikasnagar-Dak Pathar and its allied routes unless there exists a reciprocal agreement between the State Uttarakhand and the State of U.P.

मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के उक्त आदेशों के पश्चात् देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर तथा सम्बन्धित मार्ग के परमिटों के नवीनीकरण के प्रार्थना पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में मार्ग के एक परमिट धारक श्री बालकृष्ण अग्रवाल द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में याचिका संख्या–396/2010 दायर की गयी थी, जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 04–05–2010 को निम्न आदेश पारित किये गये थे :–

The respondent No.4 i.e. State Transport Authority Uttarakhand, Dehradun is directed to take decisions on the application moved by the petitioners, annexed as annexure No.2 to the writ petition in accordance with law, expeditiously, preferably within a period of six weeks from the date of production of cerfified copy of this order.

The modification application stands disposed of finally.

(B.S. Verma, J.)
04-05-2010

मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के उक्त आदेशों के अनुपालन में मामले को राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 14–07–2010 में विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण द्वारा मामले पर विचारोपरान्त निम्न आदेश पारित किये गयेः–

''मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा याचिका संख्या–396/2010 में याचिकाकर्ताओं के प्रत्यावेदनों पर निर्णय लेने के निर्देश दिये गये हैं। दूसरी ओर मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल की युगल पीठ द्वारा स्पेशल अपील संख्या–201/2009 में अपने आदेश दिनांक 26–10–2009 में देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर तथा सम्बन्धित मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी परमिट स्वीकृत करने पर रोक लगाई है, जो प्रभावी है।

अतः उक्त आवेदकों (याचीगणों) के स्थाई सवारी गाड़ी परमिट संख्या–पीएसटीपी 1533/83, 1534/10, 1536, 1535/71, 1078, 1530/125, एवं 1539 के नवीनीकरण के प्राप्त प्रार्थना पत्रों को मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के स्पेशल अपील संख्या–201/2009 में पारित आदेश दिनांक 26–10–2009 के दृष्टिगत स्थगित रखा जाता है। उक्त स्पेशल अपील में मा0 उच्च न्यायालय के अन्तिम आदेश पारित होने पर प्राधिकरण मामले पर पुनः विचार करेगी।''

राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा पारित उक्त आदेशों के पश्चात् प्रश्नगत मार्ग पर परमिटों के नवीनीकरण हेतु प्राप्त **11** प्रार्थना पत्रों को राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 30–07–2010 के मद संख्या–13 में विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण द्वारा उक्त 11 प्रार्थना पत्रों के सम्बन्ध में निम्न आदेश पारित किये गये थे :–

''मद संख्या–13 में उल्लिखित स्थायी सवारी गाड़ी परमिट संख्या–पीएसटीपी–1072/115, 1524, 1521, 1526/75, 1537/87, 1538, 1541/72, 1543, 1546, 1547 एवं 1775 के नवीनीकरण के प्राप्त प्रार्थना पत्रों को मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में दायर स्पेशल अपील संख्या–201/2009 में पारित आदेश दिनांक 26–10–2009 के दृष्टिगत स्थगित रखा जाता है। उक्त स्पेशल अपील में मा0 उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश पारित होने पर माम पुनः प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।''

मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में विचाराधीन स्पेशल अपील संख्या–201/2009 श्री जमशेद अली बनाम उत्तराखण्ड राज्य में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा दिनांक 04–04–2011 को दिनांक 26–10–2009 में पारित अंतरिम आदेश को निरन्तर (Continue) किया गया है। श्री सिंघल द्वारा प्राधिकरण के समक्ष मा0 राज्य अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा निगरानी वाद संख्या–5/2011 श्रीमती सीमा गर्ग बनाम राज्य परिवहन प्राधिकरण में पारित आदेश दिनांक 08–11–2011 की प्रति प्रस्तुत की है, जिसमें मा0 राज्य अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा निम्न आदेश पारित किये गये हैं :–

"In a similar matter decided by this Tribunal on 18/08/2011, it has been held that for want of reciprocal transport agreement between two concerned states, State Transport Authority can lawfully grant the permits up to the territory lying in the state of Uttarakhand. No doubt, this is the judgement of concurrent jurisdiction Tribunal and as such having no force as judicial precedent. But principle of judicial proprietary requires that this Tribunal should weight the judgement in similar matters to prevent any divergence in judicial decision.

On the basis of above findings, I am of the view that there is no illegality and procedural irregularity apparent on the face of the record. Accordingly revision fails."

सुनवाई के समय श्री एस0के0 श्रीवास्तव, 04–बी, राजा रोड़, देहरादून के प्रत्यावेदन दिनांक 04–10–2011 की ओर प्राधिकरण का ध्यान आकर्षित करवाया गया। प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रत्यावेदन का संलग्नकों सहित अवलोकन किया

गया। प्रत्यावेदन में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा याचिका संख्या–2112/एम0एस0/2011 दिनांक 30–09–2011 में पारित आदेशों का अनुपालन करने का अनुरोध किया गया है। मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा याचिका संख्या–2112/ एम0एस0/2011 दिनांक 30–09–2011 में निम्नलिखित आदेश पारित किये गये हैं :–

"Heard,

Prima facie, it appears that in the absence of a reciprocal agreement between the State of Uttarakhand and the State of U.P., as required under Section 88 (1) and (5) of the Motor Vehicles Act, 1988, grant of permit on the routes, namely, Dehradun-Vikas Nagar-Dak Pathar and its allied routes appears to be without jurisdicion. Therefore, it is directed that till the next date of listing, respondent nos. 6 to 8 are restrained from granting any permit on Dehradun-Vikas Nagar-Dak Pathar and its allied routes, unless there exists a reciprocal agreement between the State of U.P. and if such permission has been issued or renewed, it will remain invalid.

Application stands disposed of.

Let a certified copy of the order be Supplied to the learned counsel for the parties today itself on payment of usual charges."

प्राधिकरण द्वारा श्री अतुल कुमार सिंघल, श्री जमशेद अली एवं मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में दायर स्पेशल अपील संख्या–201/2009, अपील संख्या–2112/एम0एस0/2011 एवं मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा निगरानी वाद संख्या–5/2011 में पारित आदेशों पर गम्भीरता से विचार किया गया। सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि उक्त रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेशों के क्रम में देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर तथा सम्बन्धित मार्ग का तिमली से शाकुम्बरी देवी तक का भाग उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ने तथा वर्तमान में उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश राज्य के मध्य पारस्परिक परिवहन करार लम्बित होने के कारण प्रश्नगत् मार्ग के परमिटों का नवीनीकरण उत्तराखण्ड राज्य की सीमा तक किया जा सकता है अथवा नहीं? के सम्बन्ध

में न्याय विभाग का परामर्श प्राप्त किया जाय। न्याय विभाग से परामर्श प्राप्त होने के पश्चात् मामले को प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

संकल्प संख्या–13

मद संख्या–13 के अन्तर्गत ऑटो रिक्शा वाहनों के पूर्व में निर्धारित किराये की दरों में रूपया 7.00 प्रति कि0मी0 के स्थान पर रूपया 12.00 प्रति कि0मी0 करने विषयक प्रत्यावेदन को विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

प्राधिकरण के समक्ष ऑटो रिक्शा किराया वृद्धि के सम्बन्ध में गठित समिति के अध्यक्ष श्री राकेश गोयल, मा0 सदस्य, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा आख्या प्रस्तुत करने हेतु समय की मांग की गयी। प्राधिकरण द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त किराया वृद्धि हेतु गठित समिति को समय प्रदान किया जाता है। समिति की आख्या प्राप्त होने पर मामले को प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय एवं मामले को अगली बैठक के लिए स्थगित किया जाता है।

संकल्प संख्या–14

मद संख्या–14 के अन्तर्गत पंतजलि योगपीठ, महर्षि दयानन्द, हरिद्वार की वाहन संख्या–यूके08पीए–1001 को समस्त भारतवर्ष का ठेका बस परमिट जारी करने सम्बन्धी प्रत्यावेदन दिनांक 30–05–2011 को प्राधिकरण के समक्ष विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

बैठक में प्राधिकरण के मा0 सदस्य श्री राकेश गोयल द्वारा अवगत कराया गया कि उन्हें गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में सीटों के अतिरिक्त स्लीपर लगी वाहनों को पर्यटक परमिट देने के सम्बन्ध में जो नीति अपनायी जा रही है, के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त हो चुकी है। प्राधिकरण द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त मा0 सदस्य महोदय

से उक्त राज्यों में प्रश्नगत प्रकरण पर अपनायी जा रही प्रक्रिया की प्रति प्राप्त की जाय। प्रक्रिया का अध्ययन कर प्रकरण को प्राधिकरण की आगामी बैठक में पूर्ण तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया जाय। मामले को अगली बैठक के लिए स्थगित किया जाता है।

संकल्प संख्या–15

मद संख्या–15 के अन्तर्गत समस्त भारतवर्ष के मोटर कैब परमिटों से आच्छादित वाहनों को परमिट जारी करने की तिथि से 05 वर्ष तक निजी वाहन के रूप में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी, की पूर्व में अधिरोपित शर्त सम्बन्धी मामले को प्राधिकरण के समक्ष विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

प्राधिकरण द्वारा मामले पर सम्यक् विचारोपरान्त उक्त शर्त को यथावत रखने का निर्णय लिया गया।

संकल्प संख्या–16

मद संख्या–16 के अन्तर्गत समस्त भारतवर्ष/उत्तराखण्ड के मोटर कैब, मैक्सी कैब एवं बसों को उदारनीति से ठेका गाड़ी परमिट जारी करने सम्बन्धी मामले को प्राधिकरण के समक्ष विचार व आदेश प्रस्तुत किया गया।

उत्तराखण्ड राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–80 की उपधारा–2 में निम्न प्राविधान किया गया है :–

''प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण (राज्य परिवहन प्राधिकरण या धारा–66 की उपधारा (1) में विहित अन्य प्राधिकारी) साधारणतः इस अधिनियम के अधीन किसी भी समय किसी भी प्रकार के परमिट के लिए किए गए आवेदन को मंजूर करने से इन्कार नहीं करेगा:

परन्तु प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण कोई आवेदन संक्षिप्ततः नामंजूर कर सकेगा यदि आवेदन के अनुसार किसी परमिट के देने से यह प्रभाव पड़ेगा कि धारा–71 की उपधारा–3 के खण्ड (क) के अधीन राजपत्र में अधिसूचना

और विनिर्दिष्ट मंजिली गाड़ियों की संख्या में या धारा–74 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के अधीन राजपत्र में अधिसूचना में नियत और विनिर्दिष्ट ठेका–गाड़ियों की संख्या में वृद्धि होगी:

परन्तु यह और कि जहां प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण (राज्य परिवहन प्राधिकरण या धारा–66 की उपधारा (1) विहित अन्य प्राधिकारी) इस अधिनियम के अधीन किसी भी प्रकार के परमिट देने सम्बन्धी आवेदन को नामंजूर कर देता है, वहां वह आवेदक को उसके नामंजूर किए जाने के अपने कारण लिखित रूप में देगा और इस विषय में उसे सुनवाई का अवसर देगा।''

प्राधिकरण द्वारा उक्त प्राविधानों पर गम्भीरता से विचार–विमर्श किया गया। सम्यक् विचारोपरान्त राज्य में रोजगार का एकमात्र साधन पयर्टन को बढ़ावा देने एवं रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से समस्त भारतवर्ष/उत्तराखण्ड के मोटर कैब, मैक्सी कैब परमिट उदारनीति से जारी करने के सम्बन्ध में लगायी गयी रोक में संशोधन करते हुये उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम–57 (1) में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये अपने सचिव को और राज्य परिवहन प्राधिकरण की दशा में सहायक परिवहन आयुक्त (प्रशासन) को उक्त प्रकार के ठेका परमिट स्वीकृत/जारी करने हेतु वाहन मानकों के अनुरूप उपयुक्त पाये जाने पर प्राधिकरण की नियमित बैठक में अनुमोदन की शर्त पर प्रतिनिधायन के अधिकार प्रदत्त किये जाते हैं।

संकल्प संख्या–17

मद संख्या–17 के अन्तर्गत समस्त भारतवर्ष/उत्तराखण्ड के मोटर कैब, मैक्सी कैब वाहनों के परमिटों के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में वर्तमान में जो नीति अपनायी जा रही है, उसी नीति के अनुसार अन्तर्गत ठेका बस परमिटों के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में मामले को प्राधिकरण के समक्ष विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

प्राधिकरण द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय किया गया कि ठेका बस परमिट धारकों की कठिनाईयों के दृष्टिगत् मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–74 की उपधारा (2) के खण्ड (9) (क) के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान

नियमावली, 1989 के नियम–87 (4) में दिये गये प्राविधानानुसार विधिक बाधा न होने पर प्राधिकरण की बैठक दिनांक 31–10–2011 के अन्य मद संख्या–16 (7) में समस्त भारतवर्ष/उत्तराखण्ड के मोटर कैब/मैक्सी कैब परमिटों के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जो प्रक्रिया अपनायी जा रही है, वही प्रक्रिया ठेका बस परमिटों के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में भी अपनायी जाय।

संकल्प संख्या–18

मद संख्या–18 के अन्तर्गत राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड के परमिटों से आच्छादित वाहन स्वामियों द्वारा परमिट समाप्त होने की दशा में परमिट यथा समय कार्यालय में जमा न करने पर ऐसे परमिटों पर शास्ति निर्धारण का प्राविधान करने सम्बन्धी मामले को प्राधिकरण के समक्ष विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

वाहन स्वामियों द्वारा उनकी वाहनों के परमिट समाप्त हो जाने के पश्चात् वाहन स्वामी द्वारा समाप्त परमिट न तो कार्यालय में जमा किया जाता है और न ही परमिट के नवीनीकरण का आवेदन यथा समय किया जाता है। वाहन स्वामी ऐसी दशा में कर आदि जमा कर वाहन का संचालन अनधिकृत रूप से करता रहता है, जिससे एक ओर जहां अनधिकृत संचालन को बढ़ावा मिलता है, वहीं दूसरी ओर वैध प्रपत्रों के वाहन संचालन पर घटित दुर्घटना में मृतक/घायलों को सहायता राशि प्रदान किया जाना सम्भव नहीं हो पाता है। प्राधिकरण द्वारा अनधिकृत संचालन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से निम्न नीति निर्धारित की जाती है :–

क्र0सं0	समाप्त परमिट विलम्ब से जमा करने की अवधि	निर्धारित प्रशमन शुल्क (रूपये में)

1	01 माह तक या उसके भाग के लिए	1000.00
2	01 से 06 माह तक या उसके भाग के लिए	2500.00
3	06 माह से 01 वर्ष तक या उसके भाग के लिए	5000.00
4	01 वर्ष से अधिक के लिए	10000.00

प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त निर्धारित प्रशमन शुल्क जमा करने के उपरान्त निरस्त परमिट जमा करवाया जाय।

अन्य संकल्प संख्या–19(1)

प्राधिकरण के संज्ञान में यह भी आया है कि कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा समस्त भारतवर्ष के पर्यटक परमिट के अधिकार पत्र का समय पर नवीनीकरण नहीं करवाया जाता है और विलम्ब से अधिकार पत्र नवीनीकरण करने हेतु प्रशमन शुल्क के सम्बन्ध में कोई नीति निर्धारित नहीं की गयी है।

प्राधिकरण द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि जिन परमिट धारकों द्वारा अपने समस्त भारतवर्ष के पर्यटक परमिट के अधिकार पत्र का नवीनीकरण समय से नहीं किया जाता है, ऐसे अनधिकृत रूप से संचालित परमिटों के अधिकार पत्रों पर देय प्रशमन शुल्क जमा करने के सम्बन्ध में निम्न प्रकार नीति निर्धारित की जाती है :–

क्र0सं0	विलम्ब की अवधि	निर्धारित प्रशमन शुल्क (रूपये में)
1	01 माह तक या उसके भाग के लिए	–
2	01 माह के पश्चात् 01 वर्ष तक या उसके भाग के लिए	1000.00
3	02 वर्ष तक या उसके भाग के लिए	2000.00
4	03 वर्ष तक या उसके भाग के लिए	3000.00
5	04 वर्ष तक या उसके भाग के लिए	4000.00

प्राधिकरण के उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(राकेश गोयल)
सदस्य।

(हरीश पन्त)
सदस्य।

(ललित मोहन)
सदस्य।

(आर0सी0पाठक)
अध्यक्ष।

राज्य परिवहन प्राधिकारण की बैठक दिनांक 05–12–2011 की कार्यसूची के अन्य मद संख्या–12 का परशिष्ट ''छ''

मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 81 के साथ पठित उत्तर प्रदेश नियमावली 1998 (जो वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में लागू है) के नियम 81 में दिये गये प्राविधानुसार देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर तथा सम्बन्धित मार्ग के स्थाई सवारी गाड़ी परमिटों के नवीनीकरण के लिये प्राप्त प्रार्थना पत्रों का विवरण निम्नवत् हैः–

क्रं0 सं0	परमिट संख्या, वैद्यता एवं वाहन संख्या	परमिट धारक का नाम व पता	प्रार्थना पत्र प्राप्ती की तिथि	समय से अथवा विलम्ब से	अन्य विवरण
1	1072 / 115 19–07–2009 यूए 07 बी–6279	श्री चन्द्र प्रकाश ग्रोवर पुत्र श्री हरनाम दास ग्रोवर निवासी हॉस्पीटल रोड विकासनगर देहरादून।	29–05–2009	समय सें	–
2	1078 30–03–2010 यूके07पीए–0795	श्री ज्योति सिंह पुंडीर पुत्र श्री भोपाल सिंह, 24 किशन नगर, देहरादून।	22–02–2010	समय से	–
3	1521 07–03–2010 यूए07एम–7036	श्री किशन चन्द पुत्र श्री ज्योती प्रसाद निवासी ग्राम व पो0 हर्बटपुर देहरादून।	18–02–2010	समय सें	**1– निरीक्षक, यातायात, पुलिस लाईन देहरादून का चालान दिनॉक** 09–01–2007 (1) वाहन मे चालक सहित 112 सवारी बैठ थी, जबकि वाहन 55 सीट में पास है, वाहन में 57 सवारी ओवरलोड है। चालान निस्तारित। **2– चालान दिनॉक 28–04–2009** (1)– वाहन मे 30 सवारी बैठी है, परिचालक द्वारा सवारियों को टिकट नहीं दिया जा रहा है। परमिट शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है। (2) कर तथा अति0 कर जमा प्रमाण पत्र नहीं दिखाया। (3) स्वास्थता प्रमाण पत्र नहीं दिखाया। (4) परिचालक ने कन्डक्टरी लाईसेंस नहीं

					दिखाया। (5) बीमा प्रमाण पत्र नहीं दिखाया। परमिट के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। **चालान अनिस्तारित।**
4	1524 13–03–2010 यूपी 07के–9147	श्री रमेश चन्द पुत्र श्री जय सिंह निवासी 191/15/13 धर्मपुर द्वितिय देहरादून।	08–09–2009	समय से	–
5	1526/75–एसटीए 15–03–2010 पीबी 13जी–5517	श्री संदीप कुमार अग्रवाल पुत्र श्री हरी किशन अग्रवाल निवासी 14/2 ईस्ट रेस्ट कैम्प चन्दर नगर देहरादून।	15–02–2010	समय से	–
6	1530/125 17–03–2010 यूपी11टी–2875	श्री जितेन्द्र जोशी पुत्र श्री एस0एन0जोशी, निवासी अटट्न बाग, हरबर्टपुर, देहरादून।	18–02–2010	समय से	–
7	1533/83 22–03–2010 पीबी08एएन–3255	श्री बालकिशन अग्रवाल पुत्र श्री प्यारेलाल अग्रवाल, 226 डी, चन्दर नगर, देहरादून।	22–02–2010	समय से	–
8	1534/129 22–03–2010 यूके07पीए–0621	श्री राजकुमार गोयल व श्री भूपेन्द्र गौड़, पुत्रगण सर्व श्री जयप्रकाश गोयल एवं सरन किशोर गौड निवासी पौंटा रोड़, हरबर्टपुर, देहरादून।	22–02–2010	समय से	–
9	1535/71 24–03–2010 यूए07जी–0255	श्री प्रेम चन्द पुत्र श्री पन्ने राम निवासी सहसपुर, देहरादून।	22–02–2010	समय से	–
10	1536 24–03–2010 यूपी07एफ–0941	श्री प्रवीण कुमार पुत्र श्री प्रेम चन्द निवासी ग्रा0 व पो0 सहसपुर, देहरादून।	19–02–2010	समय से	–
11	1537/87/एसटीए 24–03–2010 यूके07पीए–0784	श्री सईद अहमद पुत्र श्री नजीर अहमद निवासी रामपुर देहरादून।	09–03–2010	समय से	–
12	1538 24–03–2010	श्री योगेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री रामानन्द निवासी सेलाकुई देहरादून।	26–10–2009	समय से	प्रार्थी द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनॉक 28–02–2009 मे धारा 86 के

	यूपी 07 के–9550				अन्तर्गत निर्धारित **प्रशमन शुल्क रू0 5,000 जमा नही किया गया हैं।**
13	1539 22–03–2010 यूपी14क्यू–5121	श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री स्वरूप सिंह निवासी 30 संजय कालोनी, गांधीग्राम, देहरादून।	22–02–2010	समय से	–
14	1541/72–एसटीए 28–03–2010 यूपी 07एफ–8278	श्री मोहम्मद आलम पुत्र श्री नेक मोहम्मद निवासी फतेहपुर हर्बटपुर देहरादून।	15–03–2010	02 दिन विलम्ब से प्राप्त	–
15	1543 29–03–2010 एचपी 21ए–1754	श्रीमती सन्तोष भाटिया पत्नी स्व0 श्री नरेन्द्र भाटिया निवासी 3/9/4 प्रेमनगर देहरादून।	24–08–2009	समय सें	–
16	1546 29–03–2010 यूपी 07एच–0041	श्री के0 एल0 भाटिया पुत्र श्री जी0पी0 भाटिया निवासी विंग नं 3 बी0के0 914 प्रेमनगर देहरादून।	02–03–2010	समय से	–
17	1547 29–03–2010 यूए 07बी–6311	श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री गोपी चन्द्र निवासी 14 अखाडा मोहल्ला देहरादून।	24–10–2009	समय से	–
18	1558 21–09–2010 यूए07डी–0429	श्री कुन्ज बिहारी लाल पुत्र श्री श्याम सुन्दर लाल, मैन रोड़, विकासनगर, देहरादून।	07–10–2010	15 दिन विलम्ब से।	–
19	1581/73 02–09–2011 यूके07पीए–0869	श्री हरी सिंह पुत्र श्री उदयराज सिंह निवासी 41 घोषी गली, देहरादून।	30–08–2011	समय से	–
20	1775 31–01–2010 यूए 12–5268	श्री एन0पी0 शर्मा पुत्र श्री पारस राम निवासी रेस्ट कैम्प त्यागी रोड देहरादून।	14–10–2009	समय से	–
21	1863/68 18–09–2011 यूए07एन–2355	श्री एस0के0श्रीवास्तव पुत्र श्री डी0पी0 श्रीवास्तव, 25/38, खदरी मौहल्ला, देहरादून।	03–09–2011	समय से	–
22	1867/76 14–11–2011 यूपी07एच–5062	श्री अशोक कुमार पुत्र श्री लक्ष्मीचन्द निवासी 613 राजेन्द्र नगर, देहरादून।	13–10–2011	समय से	–

सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड।